धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात- अक्टूबर,नवंबर,दिसम्बर, 2024

स्थापना आदेश,परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि

कुल - 20 [स्थापना आदेश-सं. 171 -190(20), 1 स्थापना अधिसूचना, 1 लेखा अनुभाग परिपत्र, 1 स्पोर्ट्स अधिसूचना, 1 परिशिष्ट कुल-24]

क्रम सं	स्थापना आदेश संख्या	दिनांक	कार्रवाई	
	आदेश सं-170/2024		रद्द किया गया	
1	आदेश सं-171/2024	04.10.2024	अनुवाद किया गया	RCR
2	आदेश सं-172/2024	09.10.2024	अनुवाद किया गया	RCR
3	आदेश सं-172/2024 revised	15.10.2024	अनुवाद किया गया	RCR
4	आदेश सं-173/2024	25.10.2024	अनुवाद किया गया	RCR
5	आदेश सं-174/2024	25.10.2024	अनुवाद किया गया	MK
6	आदेश सं-175/2024	26.11.2024	अनुवाद किया गया	MK
7	आदेश सं-176/2024	25.11.2024	अनुवाद किया गया	RCR
8	आदेश सं-177/2024	27.11.2024	अनुवाद किया गया	RCR
9	आदेश सं-178/2024	25.11.2024	अनुवाद किया गया	RCR
10	आदेश सं-179/2024	04.12.2024	अनुवाद किया गया	MK
11	आदेश सं-180/2024	29.11.2024	अनुवाद किया गया	RCR
12	आदेश सं-181/2024	10.12.2024	अनुवाद किया गया	RCR
13	आदेश सं-182/2024	11.12.2024	अनुवाद किया गया	RCR
14	आदेश सं-183/2024	10.12.2024	अनुवाद किया गया	RCR
15	आदेश सं-184/2024	12.12.2024	अनुवाद किया गया	RCR
	आदेश सं-185/2024	*07.01.2025*		
16	आदेश सं-186/2024	16.12.2024	अनुवाद किया गया	RCR
17	आदेश सं-187/2024	26.12.2024	अनुवाद किया गया	MK
18	आदेश सं-188/2024	30.12.2024	अनुवाद किया गया	MK
19	आदेश सं-189/2024	27.12.2024	अनुवाद किया गया	RCR
20	आदेश सं-190/2024	30.12.2024	अनुवाद किया गया	RCR

स्थापना परिपत्र

क्रम सं	लेखा ,स्थापना व स्पोर्ट्स अनुभाग अधिसूचना, परिपत्र आदि	दिनांक	कार्रवाई	
1	लेखा अनुभाग (आयकर सं)अडवांस कॉल परिपत्र	21.11.2024	अनुवाद किया गया	RCR
2	स्थापना अनुभाग अधिसूचना	25.10.2024	अनुवाद किया गया	RCR
3	स्पोर्ट्स अनुभाग अधिसूचना	02.12.2024	अनुवाद किया गया	RCR
4	स्पोर्ट्स अनुभाग अधिसूचना - परिशिष्ट	17.12.2024	अनुवाद किया गया	RCR

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT

आदेश सं.: 190 / 2024

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक को,ऐसे भत्ते,जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / -सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये(वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में, समूह 'ख' पद, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में तदर्थ और इन-सीटू आधार पर उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है |

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री / श्रीमती)	जन्म तिथि
1	मल्लजीत सोनोवाल	26.12.1983

2. ऊपर उल्लिखित अधिकारी को उच्च पद पर दिनांक **01.01.2025** को या उसके बाद और दिनांक **10.01.2025** तक कार्यग्रहण करना चाहिए |

3. निरीक्षकों की अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति ओपी (सीएटी) संख्या 4305/2011, ओपी (सीएटी) 999/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 998/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 968/2012, सीएटी (ईबी) में ओए सं. 180/00806/2014, सीएटी एर्णाकुलम बेंच की ओए सं.523/2023,527/2023, 543/2023 और हरिहरन बनाम हर्षवर्धन मामले में एसएलपी (सी) संख्या 16161/2018 से उत्पन्न सिविल अपील में निर्णय जो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के पास लंबित है और संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में अन्य लंबित मामले में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2012 के खिलाफ विभाग द्वारा दायर एसएलपी संख्या 20810/2012 के परिणाम के अधीन है।

4. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक **13.01.2025** तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए ।

5. यह आदेश प्रधान आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम ,
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय कोच्चि ,
6. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त कोचिन ,
7. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय कोच्चि ,
8. अपर महा निदेशक,डीजीजीआई /डीआरआई, क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी वेतन एवं लेखा अधिकारी /,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोयिक्कोड
2. प्रशासनिक अधिकारी)डीडीओ(, अधीक्षक) गोप/.सत(., कोयिक्कोड
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
4. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2020-Estt **दिनांक :27.12.2024**

आदेश सं.: 189 / 2024

विषय: कर सहायक के ग्रेड में पदोन्नति - संबन्धित।

निम्नलिखित हेड हवलदार को कर सहायक के ग्रेड में भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत भर्तों सहित वेतन मेट्रिक्स में लेवल -4 में रु.25,500 -81,100 वेतनमान में पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेने की तारीख से इसके साथ पदोन्नत किया जाता है ।

क्रम सं	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	वर्तमान तैनाती स्थान
1	श्रीराज पी.	20.03.1968	कोयिककोड आयुक्तालय

2. पदोन्नत अधिकारी दिनांक **10.01.2025** को या उसके पहले पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेना चाहिए अन्यथा उच्च पद में उनकी पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा । इनकार, यदि कोई हो, तत्काल लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपर्युक्त अधिकारी को नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का ज्ञा. दिनांक 26.09.1981, 05.07.1999 और 27.07.2017 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प देना है । एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा |

3. नियंत्रण अधिकारी/ संबंधित अधिकारी द्वारा अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न- ग्रहण करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक **14.01.2025** तक इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।

[रानी सी.आर.]
अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबधित व्यक्ति (संबंधित अधिकारी के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र ।
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि ।
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोऴिक्कोड |

प्रति :

1. अधीक्षक (सत./ सिस्टम्स/ मु.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ)मु केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि / कोऴिक्कोड
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/12/2024-ESTT **दिनांक : .12.2024**

आदेश सं.: 188 / 2024

विषय : - हवलदार एवं हेड हवलदार के श्रेणियों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क हवलदार एवं हेड हवलदार के श्रेणियों में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	सुनील एम के., हेड हवलदार	01.01.1973	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. के आदेश के अधीन	आलुवा मंडल
2.	के बी सेबास्टियन हेड हवलदार	18.03.1975	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. के आदेश के अधीन	त्रिश्शूर मंडल
3.	अब्दुल करीम पी के हेड हवलदार	10.01.1966	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. के आदेश के अधीन	एर्णाकुलम मंडल
4.	मुरुगन एम., हेड हवलदार	26.05.1969	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. के आदेश के अधीन	मु.,कोच्चि
5.	लता के के हवलदार	28.03.1968	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. के आदेश के अधीन	मु.,कोच्चि
6.	षाजी एस. हेड हवलदार	24.12.1964	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. के आदेश के अधीन	मु.,कोच्चि
7.	थादेवोउस के वी हवलदार	01.02.1968	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. के आदेश के अधीन	मु.,कोच्चि
8.	राजु टी के हवलदार	01.03.1967	त्रिश्शूर मंडल	कुन्नमकुलम रेंज

2. श्री राजु टी.के. को छोड़कर उपरोक्त अधिकारी (क्रम सं.8) को दिनांक **10.01.2025** तक अपने नए तैनाती स्थान में शा कार्यभार ग्रहण करना चाहिए। श्री राजु टी.के., हवलदार को दिनांक 31.01.2025 को या उसके बाद राहत दी जानी है और उन्हें दिनांक **07.02.2025** तक नए तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करना चाहिए।

3. दिनांक 15.01.2025 को अनुपालन रिपोर्ट करें

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[माया कुरियन]
सहायक आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ)
4. अधीक्षक (सत.)/मुख्यालय, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) -वेबसाइट में अपलोड करने के लिए |
6. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt. **दिनांक : 23.12.2024**

आदेश सं.: 187/2024

विषय : कर सहायक/अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणियों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

कर सहायक/अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणियों में निम्नलिखित स्थान्मंतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है |

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	विवेक बिजु बोस,कर सहायक	29.11.1991	केंद्रीय रजिस्ट्री इकाई, मु. कोच्चि के अतिरिक्त प्रभार के साथ प्रशासन अनुभाग	मुख्यालय अनुभाग,मु.कोच्चि तथा श्री हरिकृष्णन इ आर के संबंध में सीआरयू कार्य केतु लिंक अधिकारी
2.	करुण विजय एम., अवर श्रेणी लिपिक	03.08.1993	मुख्यालय अनुभाग,मु.कोच्चि तथा श्री हरिकृष्णन इ आर के संबंध में सीआरयू कार्य केतु लिंक अधिकारी	केंद्रीय रजिस्ट्री इकाई, मु. कोच्चि के अतिरिक्त प्रभार के साथ प्रशासन अनुभाग

2.उपरोक्त आदेश का अनुपालन दिनांक 31.12.2024 तक किया जाना चाहिए तथा अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 03.01.2025 तक इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।

3.यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[माया कुरियन]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. अधीक्षक((सिस्टम्स)/अधीक्षक (सतर्कता),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(39)/72/2021-Estt

आदेश सं.: 186 / 2024

विषय :एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करना-सं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 35034/3/2008-Estt(D) दिनांक 19-05-2009 और वित्त मंत्रालय के पत्र F.No.A-26017/76/2009-Ad.II.A दिनांक 17.6.2009 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिकारीयों को एम् ए सी पी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में निकटतम अगले उच्च ग्रेड वेतन में या वेतन मैट्रिक्स में निकटतम अगले उच्च स्तर में (जैसा भी मामला हो) उनके नामों के सामने सूचित दिनांक से प्रदान किया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन)	वित्तीय उन्नयन की नियत तिथि	अनुशंसित ग्रेड पे और पे बैंड /पे मैट्रिक्स स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भूपाल कुमार, अधीक्षक	12.02.1987	प्रथम	16.12.2023	स्तर -8
2.	जयन एम, निरीक्षक	04.12.1976	तृतीय	03.04.2024	स्तर -8
3.	विजिल कुमार एम सी, निरीक्षक	10.08.1966	तृतीय	03.04.2024	स्तर -8
4.	जोसफ के जॉन, निरीक्षक	14.03.1967	तृतीय	22.11.2023	स्तर -10
5.	अजीत कुमार गुप्ता, निरीक्षक	07.09.1990	प्रथम	09.12.2023	स्तर -8
6.	अनुराधा कुमारी, निरीक्षक	19.03.1986	प्रथम	04.06.2024	स्तर -8
7.	मनोज आर, निरीक्षक	08.05.1984	तृतीय	03.04.2024	स्तर -8
8.	प्रसन्नकुमारी पी, हेड हवलदार	21.04.1966	तृतीय	10.08.2024	स्तर -4
9	बालन कुन्नियिल, हेड हवलदार	05.05.1968	तृतीय	10.08.2024	स्तर -4
10	सावित्री एम, हेड हवलदार	20.05.1967	तृतीय	21.12.2022	स्तर -4
11	बैजु एस, हेड हवलदार	23.05.1968	तृतीय	17.08.2024	स्तर -4
12	पी एस चंद्रन, हेड हवलदार	20.05.1970	तृतीय	28.05.2023	स्तर -4
13	शरतचंद्रन एन एस, कैंटीन क्लर्क	20.05.1974	द्वितीय	24.03.2023	स्तर -3
14	अनंदा के, हेड हवलदार	21.12.1968	तृतीय	28.06.2024	स्तर -4
15	गिरीशबाबु तुंडियिल, हेड हवलदार	30.05.1968	तृतीय	17.08.2024	स्तर -4
16	शशीन्द्रन सी वी, हेड हवलदार	01.05.1965	तृतीय	18.08.2024	स्तर -4

2. इन अधिकारियों को वित्तीय उन्नयन अन्य बातों के साथ, निम्न शर्तों के आधार पर दिया जाता है:

2.1 लाभार्थी को दिये गए वित्तीय उन्नयन से उनके पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह वित्तीय लाभ उनके पुराने पदनाम को बनाए रखते हुये प्रदान किया गया है और कथित वित्तीय उन्नयन, उच्च स्तर से संबन्धित कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगा।

2.2 एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अधिकारी के लिए पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है और संबन्धित अधिकारी को वास्तविक कार्यात्मक पदोन्नति प्रदान नहीं करेगा और यह उनके अंतर वरिष्ठता पदोन्नति से संबद्धता नहीं रखेगा और इस कारण एमएसीपी योजना के तहत कनिष्ठ अधिकारी को उच्च वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा। एम ए सी पी योजना में **'वरिष्ठ-कनिष्ठ'** की धारणा का आशय नहीं है।

2.3 वित्तीय उन्नयन के हकदार होने से पहले यदि अधिकारी ने प्रदत्त नियमित पदोन्नति से इंकार किया हो तो वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा क्योंकि अधिकारी अवसर की कमी के कारण वृद्धिरुद्ध नहीं हुये हैं। लेकिन यदि वित्तीय उन्नयन वृद्धिरुद्धता के कारण प्राप्त हुआ है और उसके बाद यदि अधिकारी पदोन्नति अस्वीकार करते हैं तो यह वित्तीय उन्नयन वापस लेने का कारण नहीं बनेगा। इस कारण जब वे फिर से पदोन्नति के लिए सहमत होंगे तभी उन्हें आगे के वित्तीय उन्नयन का हक प्राप्त होगा और दूसरा वित्तीय उन्नयन भी इंकार के कारण रोक की अवधि के समय तक स्थगित रखा जाएगा।

2.4 नियमित पदोन्नति के समय प्राप्त वेतन नियतन का लाभ योजना के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के समय भी प्राप्त होगा। इस कारण ऐसे उन्नयन के पहले आहरित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के कुल वेतन से 3% वेतन बढ़ा दिया जाएगा। इस लिए एमएसीपी योजना के अधीन प्रदत्त ग्रेड वेतन समान होने पर नियमित पदोन्नति के समय आगे वेतन नियतन नहीं किया जाएगा। वास्तविक पदोन्नति के समय यदि एमएसीपी योजना के अधीन प्राप्त ग्रेड वेतन उच्च पद का हो तो कोई वेतन नियतन प्राप्त नहीं होगा और ग्रेड वेतन का केवल अंतर प्राप्त होगा।

2.5 एमएसीपी योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन जो स्वस्थानी है और जिसमें उच्च कार्य और ज़िम्मेदारी नहीं है वहाँ एक विशेष व्यवस्था के रूप में उच्च पद/ग्रेड वेतन में उनकी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख से या उनके अगले वेतन वृद्धि की तारीख यानि वर्ष की पहली जुलाई से F.R. 22(I)(a)(1) के अधीन वेतन नियतन किया जाएगा। वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख, व्यय विभाग के का.ज्ञा. 1/1/2008-IC दिनांक 13.09.2008 के स्पष्टीकरण सं.2 के अनुसार तय किया जाएगाया DOP &T का.ज्ञा.सं.35034 / 1/2017-Estt.D दिनांक 20.09.2018 के अनुसार तय किया जाएगा,जैसा भी मामला हो।

2.6 पुराना कोई मामला पुनः खोला नहीं जाएगा। इसके अलावा जब कभी एमएसीपी योजना कार्यान्वित किया जाएगा तब पुराने एसीपी योजना(अगस्त 1999) और एमएसीपी योजना के तहत उसी केडर में आए वित्तीय उन्नयन के कारण वेतनमान में हुये परिवर्तन को एक विसंगति के रूप में नहीं लिया जाएगा।

2.7 उच्च ग्रेड के वेतनमान में पदधारी के वेतन वृद्धि की तारीख (यानि वर्ष की 1 जुलाई या 1 जनवरी) के आधार पर वेतन नियतन केलिए विकल्प (इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के अंदर अमल किया जाये) स्वीकार्य है। एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प अंतिम माना जाएगा।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 21.07.2010 के पत्र डी.सं.62460/यूएस (डी)/2010 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि 4 (चार) वर्ष पूरे होने के बाद अधीक्षक (समूह-**'बी'**) अधिकारियों को दिए गए गैर-कार्यात्मक ग्रेड के लाभ को डीओपी एंड टी के कार्यालय ज्ञापन (ओ.एम.) सं.

35034/3/2008-स्था. (डी) दिनांक 19.05.2009 के अनुबंध -1 के पैरा 8.1 के अनुसार वित्तीय उन्नयन (अपग्रेडेशन) के रूप में माना जाएगा और इसे एमएसीपी योजना के तहत एक वित्तीय उन्नयन के बदले में उपयुक्त किया जाएगा।

4. यह केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त(का. व सत.)

सेवा में

संबधित व्यक्ति (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/अपील, कोच्चि
4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति

1. अपर /संयुक्त आयुक्त (का व सत), तिरुवनंतपुरम/कोऴिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) कोचिन

(उन से अनुरोध किया जाता है कि वे एम ए सी पी आदेशों का परिचालन उनके अधीन कार्यरत मण्डल कार्यालयों /क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी सहायक /उप आयुक्तों में करें)

2. वेतन एवं लेखा अधिकारी/ मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/ सीमा शुल्क गृह,कोचिन
3. सहायक/उप आयुक्त-एर्णाकुलम मंडल/काक्कनाड मंडल/ आलुवा मंडल/ पेरुम्बावूर मंडल/ इडुक्की मंडल/त्रिश्शूर मंडल/ चालक्कुडी मंडल
4. अधीक्षक, (गोपनीय-सतर्कता),मुख्यालय कोच्चि /प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ) मु.कोच्चि
5. अधीक्षक(सिस्टम्स) उन से अनुरोध है कि वे एमएसीपी आदेश को आयुक्तालय के वैबसाइट में अपलोड करें ।
6. हिंदी कक्ष, कोच्चि आयुक्तालय

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/12/2024-ESTT **दिनांक : 12.12.2024**

आदेश सं.: 184 / 2024

विषय : सहायक उप निरीक्षक (आयुध), हेड हवलदार एवं हवलदार के ग्रेडों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के सहायक उप निरीक्षक (आयुध) - **(एएसआई(आयुध)**, हेड हवलदार एवं हवलदार के ग्रेडों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	..को
1.	टाइटस के टी (एएसआई(आयुध)	30.05.1968	पदोन्नति पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
2.	मुकेश पी, (एएसआई(आयुध)	11.03.1967	पदोन्नति पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
3.	साजेश कुमार आर, हेड हवलदार	16.04.1968	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोळिक्कोड
4.	सुनील एम के हेड हवलदार	01.01.1973	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
5.	उण्णिकण्णन पी ओ हेड हवलदार	31.05.1973	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोळिक्कोड
6.	मुरुगन एम हेड हवलदार	26.05.1969	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
7.	के बी सेबास्टियन हेड हवलदार	18.03.1975	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि

8.	बालन के हेड हवलदार	05.05.1968	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
9.	शाजी एस हेड हवलदार	24.12.1964	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
10.	अब्दुल करीम पी के हेड हवलदार	10.01.1966	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
11.	बिनुमोन टी पी हेड हवलदार	19.05.1975	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोऴिक्कोड
12.	प्रसन्नकुमारी पी हेड हवलदार	21.04.1966	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
13.	शाजिमोन एल, हेड हवलदार	06.05.1972	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
14.	रमणी जी हेड हवलदार	28.05.1970	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
15.	संतोष कुमार के., हेड हवलदार	20.05.1976	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
16.	पीताम्बरन के हेड हवलदार	10.10.1966	(हवाई अड्डा/आई व ई, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोऴिक्कोड
17.	सावित्री एम हेड हवलदार	20.05.1967	हवाई अड्डा/आई व ई, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
18.	मोहनन ई वी हेड हवलदार	31.05.1968	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
19.	हर्षन पी आर हेड हवलदार	12.02.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन

20.	श्रीराज पी हेड हवलदार	20.03.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोऴिक्कोड	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
21.	विश्वनाथन पी सी हेड हवलदार	29.05.1966	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
22.	अनिल कुमार एम जी हेड हवलदार	20.05.1966	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
23.	चंद्रन पी एस	20.05.1970	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
24.	जॉनसण पी जे हेड हवलदार	24.05.1966	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
25.	साजन वी जी हेड हवलदार	10.10.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
26.	रवीन्द्रन एम एल हेड हवलदार	08.04.1971	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
27.	उण्णिकृष्णन एम टी हेड हवलदार	22.04.1966	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
28.	श्रीकुमार एम के हेड हवलदार	15.05.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
29.	प्रवीण वी नायर हेड हवलदार	23.03.1975	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,अपील, कोच्चि	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
30.	बैजु एस, हेड हवलदार	23.05.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
31.	जोस एंटणी हेड हवलदार	15.04.1972	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
32.	एन एस मधुसूधनन नायर हेड हवलदार	10.05.1967	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
33.	के आनंदा हेड हवलदार	21.12.1968	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	(हवाई अड्डा/आई व ई, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
34.	शशि पी एम हेड हवलदार	30.05.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोऴिक्कोड	(हवाई अड्डा/आई व ई, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
35.	थादेवोउस के वी	01.02.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क

	हवलदार		उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	आयुक्तालय, कोच्चि
36.	लता के के हवलदार	28.03.1968	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
37.	गीता एन एम हवलदार	26.05.1968	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,अपील, कोच्चि

3. नियंत्रण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त करने /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको पिछले पद से कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को दिनांक **27.12.2024** तक अपने नए तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है। यदि अधिकारी निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो पर्यवेक्षी अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

4. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

5. यह केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

6. दिनांक 31.12.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा,कोच्चि
6. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त ,कोच्चि
7. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
8. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम कोयिक्कोड / कोच्च

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप /सहायक आयुक्त, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड /सीमा शुल्क (निवारक)/ अपील /लेखा परीक्षा आयुक्तालय
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि /कोयिक्कोड /सीमा शुल्क (निवारक)/ अपील /लेखा परीक्षा आयुक्तालय
4. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि /कोयिक्कोड /सीमा शुल्क (निवारक)/ अपील /लेखा परीक्षा आयुक्तालय
5. अधीक्षक (सत./मु.) , केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि /कोयिक्कोड /सीमा शुल्क (निवारक)/ अपील /लेखा परीक्षा आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
7. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt. **दिनांक : 10.12.2024**

आदेश सं.: 183/2024

विषय : कर सहायक की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कर सहायक, कोच्चि आयुक्तालय की श्रेणी में निम्नलिखित स्थान्मंतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है |

क्रम सं.	नाम (श्री.)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	अभिषेक पाण्डेय	30.04.1999	विधिक अनुभाग	लेखा परीक्षा अनुभाग

2. उपरोक्त अधिकारी को कार्यमुक्त कर दिया जाना चाहिए तथा दिनांक 16.12.2024 तक अपनी नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए।
3. दिनांक 19.12.2024 अनुपालन रिपोर्ट करें |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनांतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति :

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि

3. अधीक्षक((सिस्टम्स)),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि
4. अधीक्षक (सतर्कता),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि
5. राजभाषा हिंदी कक्ष - हिन्दी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फाइल सं.II/(3)/APPT/25/2020 - ESTT

आदेश सं.: 182 / 2024

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में प्रोफोर्मा पदोन्नति- संबन्धित।

निम्नलिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक, जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, समूह 'ख' पद के ग्रेड में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 (पूर्व संशोधित वेतनमान में 9300-34800 रुपये (पीबी-2) ग्रेड वेतन - 4800 रुपये के वेतन बैंड के अनुरूप) तथा दिनांक 04.06.2024 अर्थात उनके तत्काल कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से लागू होने वाले भत्ते के साथ प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की गई है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री / श्रीमती)	वर्तमान तैनाती स्थान	वह समय सीमा जिसके भीतर अधिकारी को मूल कैडर में पुनः शामिल होना चाहिए
1	श्री दिनेश कुमार	प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली	01.09.2025

2. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत उपर्युक्त अधिकारी उस पद पर कार्य करना जारी रखेंगे, जिस पर उनका चयन प्रतिनियुक्ति पर किया गया था, तथा वे प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन के पश्चात तथा प्रोन्नत पद पर संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात ही उच्चतर ग्रेड पर वेतन प्राप्त करने के पात्र होंगे।

3. वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पदोन्नति की प्रभावी तिथि, पदोन्नति के आदेश की तिथि (अर्थात 04.06.2024) ही रहेगी।

4. प्रोफार्मा पदोन्नति का विकल्प चुनने वाले उपर्युक्त अधिकारी को अनुमोदित अवधि से आगे प्रतिनियुक्ति अवधि में विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. यदि अधिकारी प्रोफार्मा पदोन्नति का विकल्प नहीं चुनता है या नियमित पदोन्नति स्वीकार करने के लिए वापस नहीं आता है, तो यह माना जाएगा कि अधिकारी ने पदोन्नति से इनकार कर दिया है।

6. यह आदेश केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय, डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली - 110011

प्रति :

1. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
2. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2024-Estt.

आदेश सं.: 181/2024

विषय : निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, निरीक्षक, कोच्चि आयुक्तालय के कैडर में निम्नलिखित स्थान्मंतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है |

क्रम सं.	नाम (श्री./श्रीमती/कु.)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	शेखर यादव	01.07.1994	लेखा परीक्षा अनुभाग,मु.कोच्चि	विधिक अनुभाग,मु.कोच्चि

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त करने /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको पिछले पद से कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को दिनांक 16.12.2024 तक अपने नए तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है। यदि अधिकारी निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |
4. नियंत्रण अधिकारी को दिनांक 17.12.2024 तक अनुपालन की रिपोर्ट देनी है
5. यह आदेश केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त, कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (सतर्कता/गोपनीय) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
3. अधीक्षक((सिस्टम्स),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि
4. राजभाषा हिंदी कक्ष - हिन्दी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

II/(3)/APPT/25/2020 - ESTT

आदेश सं.: 180 / 2024

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में काल्पनिक पदोन्नति-संबन्धित।

श्री शत्रुघ्न कुमार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक को एतद्द्वारा, उनके तत्काल कनिष्ठ, श्री वीरेश मिश्रा के अधीक्षक के रूप में कार्यग्रहण करने की तारीख दिनांक 04.12.2023 से प्रभावी भत्ते के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 8 में (पूर्व संशोधित वेतनमान में 9300-34800 रुपये (पीबी -2) ग्रेड वेतन - 4800 रुपये के वेतन बैंड के अनुरूप) तदर्थ आधार पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, समूह 'ख' पद के अधीक्षक के संवर्ग में काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया जाता है |

2. अधीक्षक संवर्ग में अधिकारी की वरिष्ठता श्री कमल कुमार से ठीक नीचे और श्री वीरेश मिश्रा से ठीक ऊपर निर्धारित की गई है।

3. अधिकारी वास्तविक पदोन्नति की तिथि से पहले की काल्पनिक पदोन्नति की अवधि के लिए वेतन के बकाया, यदि कोई हो, के लिए हकदार है। उपर्युक्त अधिकारी को नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का ज्ञा. दिनांक 26.09.1981, 05.07.1999 और 27.07.2017 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प देना है । एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा | यदि अधिकारी को पहले ही एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जा चुका है, तो वह अब वेतन निर्धारण लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।

4. निरीक्षकों की अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति ओपी (सीएटी) संख्या 4305/2011, ओपी (सीएटी) 999/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 998/212, ओपी (सीएटी) संख्या 968/2012, ओए सीएटी (ईबी) में सं. 180/00806/2014 और संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में अन्य लंबित मामले में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2012 के खिलाफ विभाग द्वारा दायर एसएलपी संख्या 20810/2012 के परिणाम के अधीन है।

5. अधिकारी केकार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 06.12.2024 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए ।

6. यह आदेश प्रधान आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोऴिक्कोड

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मुख्यालय कोच्चि / कोऴिक्कोड
2. प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ), अधीक्षक (गोप./सत.), कोच्चि / कोऴिक्कोड
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
4. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt. **दिनांक : 27.11.2024**

आदेश सं.:179 / 2024

विषय : कर सहायक के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

कर सहायक के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है |

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	अभिनव कुमार	07.03.1995	केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय	केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि

2. उपरोक्त आदेश का अनुपालन दिनांक 06.12.2024 तक किया जाना चाहिए तथा अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 तक इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।
3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[माया कुरियन]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/कोयिक्कोड/अपील
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा ,कोच्चि

प्रति :

1. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, काक्कनाड मंडल

2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि/ लेखा परीक्षा
3. अधीक्षक((सिस्टम्स)/अधीक्षक (सतर्कता),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

आदेश सं.: 178 / 2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	जयंत बिश्वास	05.02.1975	एर्णाकुलम रेंज 3	एर्णाकुलम रेंज 5
2.	अक्षय सिंह भदुरिया	26.10.1990	एर्णाकुलम रेंज 5	एर्णाकुलम रेंज 3
3.	स्वप्ना वी एम	24.04.1980	एर्णाकुलम रेंज 4	एर्णाकुलम मंडल

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को तत्काल उनकी वर्तमान तैनाती स्थान से मुक्त किया जाना है।

3. किसी भी अधिकारी के नए तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले उसके किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

4. नियंत्रण अधिकारी को दिनांक 29.11.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

5. यह आदेश प्रधान आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ सीसीपी
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT

आदेश सं.: 177 / 2024

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक एवं निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक एवं निरीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्रीमती)	पदनाम	जन्म तिथि	...से	... को
1.	विशाख डी	अधीक्षक	23.11.1983	सीसीओ(डीआरआई कोळिक्कोड़ से प्रत्यावर्तन पर)	सीपीसी
2.	संजीव कुमार	अधीक्षक	03.08.1989	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय कोच्चि
3.	ग्रीष्मा के	निरीक्षक	13.11.1991	सीसीओ(डीजीओवी चेन्नई से प्रत्यावर्तन पर)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोळिक्कोड़
4.	अखिल राज डी	निरीक्षक	27.06.1990	सीसीओ(डीआरआई ट्रिवेनड्रम से प्रत्यावर्तन पर)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोळिक्कोड़

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | यदि अधिकारी निर्धारित समय में कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. श्रीमती ग्रीष्मा के, जो दिनांक 31.01.2025 तक बाल देखभाल अवकाश पर हैं, को अवकाश से लौटने पर अपनी नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है।

4. किसी भी अधिकारी की ओर से नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

5. यह आदेश केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक 02.12.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त(का व सत)

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
3. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम
4. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड
5. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
6. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(लेखा परीक्षा), कोच्चि
7. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(अपील), कोच्चि
8. अपर महा निदेशक, डीआरआई क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(11)/5/2021-ESTT

स्थापना आदेश सं.: 176 /2024

विषय : निरीक्षक की श्रेणी में स्थायीकरण -सं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/1/2010 -Estt.(C) दिनांक 21.07.2014 में निहित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने सूचित तारीख से निरीक्षक की श्रेणी में स्थाई बनाईं गईं हैं : -

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	जन्मतिथि	स्थाईकरण की तिथि
1	आर्द्रा ए.एस	30.05.1995	15.11.2023
2	मिथिल मोहन	07.11.1992	06.05.2023
3	पंकज वरुण	20.09.1992	06.05.2023
4	क्षितिज शिमिनित तिर्की	25.03.1985	06.05.2023
5	जी दीपचंद	14.04.1992	06.12.2023
6	मोहित	04.10.1987	18.11.2023
7	बिश्वजीत दास	06.02.1992	03.12.2023
8	अशोक कुमार मीना	01.01.1989	18.11.2023
9	पीयूष चौहान	29.08.1992	18.11.2023
10	जितेन माली	10.09.1991	14.03.2024

2. संबन्धित व्यक्ति की सेवा पंजि में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएँ ।

3. यह प्रधान आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त [का.व सत.]

सेवा में

सभी व्यक्तियों को [संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क , तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड/अपील /ले प.(कोच्चि)
4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त , कोचिन

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त
2. प्र .अधिकारी (वेतन बिल अनुभाग), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक(गोप./सत॰)केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt. **दिनांक : 26.11.2024**

आदेश सं.: 175/2024

विषय : कर सहायक की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

कर सहायक की श्रेणी में निम्नलिखित स्थान्मंतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है |

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री./कु.)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	वैष्णवी ई के	09.04.1999	लेखा (वेतन बिल) अनुभाग,मु.,कोच्चि	स्थापना अनुभाग, मु.,कोच्चि

2. उपरोक्त आदेश का अनुपालन दिनांक 29.11.2024 तक किया जाना चाहिए तथा अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 02.12.2024 तक इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।
3. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है |

[माया कुरियन]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. अधीक्षक((सिस्टम्स/ सतर्कता), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि
3. राजभाषा हिंदी कक्ष - हिन्दी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt. **दिनांक : 25.10.2024**

आदेश सं.: 174/2024

विषय : कर सहायक की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

कर सहायक की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है |

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री./श्रीमती)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	जूली मीना	01.01.1994	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय,कोच्चि

2. उपरोक्त आदेश का अनुपालन दिनांक 01.11.2024 तक किया जाना चाहिए तथा अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 08.11.2024 तक इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।

3. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है |

[माया कुरियन]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील, कोच्चि

प्रति :

1. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,एर्णाकुलम मंडल

2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
3. अधीक्षक((सिस्टम्स/ सतर्कता), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/15/2022-ESTT

आदेश सं.: 173 /2024

विषय : श्री श्रीकुमार एन वी, निरीक्षक, सीमाशुल्क निवारक आयुक्तालय के संबंध में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - संबन्धित ।

मौलिक नियम 56(के) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त, कोच्चि श्री श्रीकुमार एन वी (जन्म तिथि: 13.08.1968), निरीक्षक, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय को उनके दिनांक 26.07.2024 के अभ्यावेदन के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू सभी प्रासंगिक शर्तों के अधीन दिनांक 25.10.2024 से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देते हैं।

2. श्री श्रीकुमार एन वी, निरीक्षक के संबंध में सभी बकाया राशि, यदि कोई हो, नियमों के अनुसार उनके सेवानिवृत्ति लाभों से वसूल की जा सकती है

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में
सम्बंधित व्यक्ति (नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से)
प्रतिलिपि प्रस्तुत :
1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि

प्रतिलिपि
1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय
2. प्र.अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय
3. 3. अधीक्षक (सत.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
5. सचिव, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहकारी समिति,कोच्चि
6. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020 - ESTT

आदेश सं.: 172 / 2024 (संशोधित)

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति - संबन्धित।

आदेश संख्या 172/2024 दिनांक 09.10.2024 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निम्नलिखित निरीक्षक को एतद्द्वारा, वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 में (पूर्व संशोधित वेतनमान में 9300-34800 रुपये (पीबी -2) ग्रेड वेतन - 4800 रुपये के वेतन बैंड के अनुरूप) तदर्थ और यथास्थान आधार पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, समूह 'ख' पद के अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है |

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (श्री)	जन्म तिथि
1	संजीव कुमार	03.08.1989

2. उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति स्वीकार करते समय, अधिकारी की वरिष्ठता अधीक्षकों की क्षेत्रीय वरिष्ठता सूची में फीडर कैडर में उसके तत्काल कनिष्ठ श्री सुनील नागर से ऊपर निर्धारित की जाएगी। अधिकारी अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही पदोन्नति ग्रेड में वेतन तथा अन्य भत्ते प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
3. अधिकारी की पदोन्नति किसी न्यायिक मंच पर लंबित अदालती मामलों (यदि कोई हो) के परिणाम के अधीन होगी।
4. अधिकारी को उच्च पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना चाहिए और दिनांक 23.10.2024 के बाद नहीं ।
5. यह आदेश प्रधान आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1 प्रधान आयुक्तकेंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,, कोच्चि
2 आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
3 आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड
4 सीमा शुल्क निवारक आयुक्त ,कोच्चि
5 आयुक्तकेंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,(लेखा परीक्षा), कोच्चि
6 आयुक्तकेंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,(अपील), कोच्चि
7 अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोळिक्कोड/कोच्चि
8 केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त
9 तिरुवनंतपुरम / कोळिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक / लेखा परीक्षा, कोच्चि में कार्यरत उप /सहायक आयुक्त
10. मुख्य लेखा अधिकारी केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद ,वेतन एवं लेखा अधिकारी / शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोळिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक / लेखा परीक्षा, कोच्चि
11. प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ), अधीक्षक (गोप./सत.), कोच्चि / कोळिक्कोड
12. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
13. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020 - ESTT

आदेश सं.: 172 / 2024

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति - संबन्धित।

निम्नलिखित केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक को केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, समूह 'ख' पद के संवर्ग में तदर्थ एवं यथास्थान आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में (पूर्व संशोधित वेतनमान में 9300-34800 रुपये (पीबी-2) ग्रेड वेतन - 4800 रुपये के वेतन बैंड के अनुरूप) तथा उच्च पद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेशों तक लागू भत्ते के साथ पदोन्नत किया जाता है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि
1	संजीव कुमार	03.08.1989

2. उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक **23.10.2024** से पहले उच्च पद पर कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए।

5. यह आदेश प्रधान आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1 प्रधान आयुक्तकेंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,, कोच्चि
2 आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
3 आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड
4 सीमा शुल्क निवारक आयुक्त ,कोच्चि
5 आयुक्तकेंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,(लेखा परीक्षा), कोच्चि

6 आयुक्तकेंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,(अपील), कोच्चि

7 अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोऴिक्कोड/कोच्चि

8 . मुख्य लेखा अधिकारी केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद ,वेतन एवं लेखा अधिकारी / शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोऴिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक / लेखा परीक्षा, कोच्चि

9.प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ), अधीक्षक (गोप./सत.), कोच्चि / कोऴिक्कोड

10.अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।

11. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

आदेश सं.: 171 / 2024

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक एवं निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक एवं निरीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्रीमती)	पदनाम	जन्म तिथि	...से	... को
1.	अखिल टी के	अधीक्षक	17.04.1991	तकनीकी I /सांख्यिकी /आरटीआई अनुभाग, मु.कोच्चि	तकनीकी /सांख्यिकी, मु. कोच्चि
2.	बिजु एम आर	अधीक्षक	10.04.1970	तकनीकी I /डीजी एआरएम अनुभाग, मु.कोच्चि	डीजीएआरएम/ आरटीआई अनुभाग, मु.कोच्चि
3.	मनोज कुमार यादव	अधीक्षक	04.07.1982	एर्णाकुलम मंडल	एर्णाकुलम रेंज 6
4.	जैक्सण जोसफ	अधीक्षक	09.09.1979	एर्णाकुलम रेंज 2	एर्णाकुलम मंडल
5.	जयंत बिश्वास	अधीक्षक	05.02.1975	एर्णाकुलम रेंज 5	एर्णाकुलम रेंज 3
6.	सुमित कुमार रंजन	निरीक्षक	07.08.1996	एर्णाकुलम रेंज 1	समीक्षा अनुभाग,मु. कोच्चि
7.	नोएल ई वी	निरीक्षक	11.03.1996	एर्णाकुलम रेंज 6	एर्णाकुलम रेंज 1

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके |

3. किसी भी अधिकारी की ओर से नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

4. नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक 11.10.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

5. यह आदेश प्रधान आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त(का व सत)

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No: GEXCOM/HQRS/MISC/130/2022-HQRS O/o-PR COMMR-CGST-KOCHI

दिनांक : 17.12.2024

परिशिष्ट / ADDENDUM

यह केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, कोच्चि में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती के लिए दिनांक 30.11.2024 को प्रकाशित अधिसूचना के सन्दर्भ में है | कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण, अधिसूचना में उल्लिखित अनुलग्नक कुछ समय के लिए वेबसाइट https://cenexcisekochi.gov.in/ से डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं थे।

समस्या का समाधान हो गया है और उक्त अनुलग्नक अब वेबसाइट https://cenexcisekochi.gov.in/ और सीबीआईसी वेबसाइट https://www.cbic.gov.in पर भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं।

फलस्वरूप, इस कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 07.01.2025 तक बढ़ा दी गई है।पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मु और कश्मीर में अधिवासित उम्मीदवारों के लिए, अंतिम तिथि 17.01.2025 तक बढ़ा दी गई है।

अपर आयुक्त (का.व सत.)
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
कोच्चि आयुक्तालय

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No: GEXCOM/HQRS/MISC/130/2022-HQRS O/o-PR COMMR-CGST-KOCHI

केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती -2024

केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, कोच्चि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचित सभी 65 खेल विधाओं में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। भर्ती के लिए रिक्तियों की पदवार संख्या नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है:-

क्रम सं.	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	वेतन (7वीं) सीपीसी के अनुसार)
1	कर सहायक	2	वेतन मेट्रिक्स में स्तर -4 (25,500 - 81,100 रु)
2	आशुलिपिक ग्रेड -2	1	वेतन मेट्रिक्स में स्तर -4 (25,500 - 81,100 रु)
3	हवलदार	4	वेतन मेट्रिक्स में स्तर -1 (18 ,000 - 56, 900)
4	कैंटीन अटेंडेंट	1	वेतन मेट्रिक्स में स्तर -1 (18 ,000 - 56, 900)

2. उम्मीदवारों को आवेदन पत्र अनुलग्नकों और निर्देशों के साथ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड की विभागीय आधिकारिक वेबसाइट https://www.cbic.gov.in या केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद

शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट “https://cenexcisekochi.gov.in/” से डाउनलोड करना चाहिए।

सभी प्रकार से विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र एक बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिस पर "केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग 2024 में मेधावी खिलाड़ी का आवेदन" लिखा होना चाहिए और इसे इस पते पर भेजा जाना चाहिए:

अपर आयुक्त (का व सत)
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय
कोच्चि आयुक्तालय , केंद्रीय राजस्व भवन ,आई एस प्रेस रोड ., कोच्चि - 682018

3.आवेदन पत्र डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार भेजे जाएं कि वे कार्यालय समय के भीतर दिनांक 20.12.2024 तक या उससे पहले उपरोक्त पते पर पहुंच जाएं। पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मु और कश्मीर के निवासी म्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र दिनांक 27.12.2024 को या उससे पहले कार्यालय समय के भीतर उपरोक्त पते पर पहुंच जाना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

4. नियम एवं शर्तें

i) उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले नीचे उल्लिखित नियम और शर्तें और निर्देश ध्यान से पढ़ना चाहिए।

(क) आवेदन पूरी तरह से निर्धारित प्रो-फॉर्मा के अनुसार होना चाहिए। निर्धारित फॉर्म और प्रासंगिक योग्यता/भागीदारी प्रमाण पत्र की प्रतियों के बिना आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ख) अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा।

ii. आवेदन पत्र अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में स्याही वाले पेन या बॉलपॉइंट पेन (अधिमानतः **काली स्याही** वाले) का उपयोग करके भरा जाना चाहिए।

iii. आवेदन (अनुलग्नक-II) के साथ, फॉर्म (अनुलग्नक-ए) में उल्लिखित संबंधित खेल अधिकारियों द्वारा विधिवत भरे और हस्ताक्षरित निम्नलिखित फॉर्म प्रस्तुत किए जाने चाहिए

खिलाड़ियों की भर्ती के लिए पात्रता पर प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों की सूची

क्रम सं.	प्रतियोगिता	प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला प्राधिकरण	प्रपत्र जिसमें प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना है
1	अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता	संबंधित खेल के राष्ट्रीय महासंघ के सचिव	1
2	र्राष्ट्रीय प्रतियोगिता	संबंधित खेल के राष्ट्रीय महासंघ का सचिव या राज्य संघ का सचिव	2
3	अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट	खेल के डीन या संबंधित विश्वविद्यालय के खेल के समग्र प्रभारी अन्य अधिकारी	3
4	स्कूलों के राष्ट्रीय - स्पोर्ट्स /गेम्स	राज्य के लोक शिक्षण/शिक्षा निदेशालय में विद्यालयों के लिए स्पोर्ट्स /गेम्स के समग्र प्रभारी निदेशक या अपर / संयुक्त या उप निदेशक	4
5	खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स/ खेलो इंडिया यूथ गेम्स/खेलो इंडिया विंटर गेम्स/खेलो इंडिया पैरा गेम्स	खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी/खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स/खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) से नामित अधिकारी/प्रभारी अधिकारी	5

5. पात्रता की शर्तें

(i) आयु सीमा: कर सहायक, आशुलिपिक ग्रेड-**II** और हवलदार के पद के लिए दिनांक **01.12.2024** को **18** से **27** वर्ष, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए **3** वर्ष तक की छूट और एससी/एसटी उम्मीदवारों के मामले में **5** वर्ष और सरकारी कर्मचारियों के लिए **40** वर्ष तक की छूट, जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार होगी।

कैंटीन अटेंडेंट के पद के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच होगी तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार छूट दी जा सकती है। स्पोर्ट्स /गेम्स में असाधारण उपलब्धियों के लिए और उन उम्मीदवारों के लिए जो आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ अन्य सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, आयु में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी और एससी/एसटी के मामले में 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) शैक्षिक योग्यता :

पद	आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं
कर सहायक	i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष। ii) डाटा एंट्री कार्य के लिए प्रति घंटे **8000** की-डिप्रेशन से कम की डाटा एंट्री गति नहीं होनी चाहिए। iii) कंप्यूटर अनुप्रयोगों के उपयोग में बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। नोट: डेटा प्रविष्टि कार्य के लिए प्रति घंटे 8000 की-डिप्रेशन की गति इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन पर गति परीक्षण आयोजित करके जांच की जानी चाहिए।
आशुलिपिक ग्रेड -II	i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से **12**वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष ii) कौशल परीक्षण मानदंड: श्रुतलेखन: **10** मिनट **@ 80** शब्द प्रति मिनट प्रतिलेखन: **50** मिनट (अंग्रेजी: **65** मिनट), (हिंदी); (कंप्यूटर पर)
हवलदार	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष। नोट: उम्मीदवार को नीचे निर्दिष्ट शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा और शारीरिक परीक्षण पास करना होगा, अर्थात्:- **पुरुष उम्मीदवारों के लिए:** शारीरिक मानक (न्यूनतम) ऊँचाई **-157.5** सेमी (गढ़वाली, असमिया, गोरखा और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के मामले में **5** सेमी की छूट) छाती - 81 सेमी (पूरी तरह से फूली हुई और न्यूनतम 5 सेमी फूली हुई) **शारीरिक परीक्षण:**

	15 मिनट में **1600** मीटर चलना **महिला उम्मीदवारों के लिए:** शारीरिक मानक (न्यूनतम) ऊंचाई **-152** सेमी वजन: **48** किलोग्राम, ऊंचाई में **2.5** सेमी और वजन में **2** किलोग्राम की छूट, गढ़वाली, असमिया, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के मामले में। **शारीरिक परीक्षण:** **20** मिनट में **1** किमी चलना
कैंटीन अटेंडेंट	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष

6. खेल पात्रता

दक्षता का मूल्यांकन केवल कैलेंडर वर्ष 2024, 2023, 2022, 2021 और 2020 में मान्यता प्राप्त टूर्नामेंटों/प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए प्रस्तुत किए गए फॉर्म और प्रमाण पत्रों के आधार पर किया जाएगा, जिसका विवरण अनुलग्नक I में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।भागीदारी/उपलब्धियों के ऐसे प्रमाण-पत्र जिनके लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रपत्र संलग्न नहीं किए गए हैं, उन पर दक्षता के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।टूर्नामेंट/प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन महत्व के आधार पर निम्नलिखित अवरोही क्रम में किया जाएगा।

वरीयता क्रम:

(क) उन उम्मीदवारों को प्रथम वरीयता दी जाएगी जिन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के खेल विभाग की मंजूरी के साथ किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो।

(ख) अगली वरीयता उन लोगों को दी जा सकती है, जिन्होंने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित सीनियर या जूनियर स्तर की राष्ट्रीय चैंपियनशिप या भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हो और पदक जीते हों या तीसरे स्थान तक का स्थान प्राप्त किया हो। सीनियर और जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप/खेलों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के बीच, सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने और पदक जीतने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जानी चाहिए।

(ग) अगली वरीयता उन लोगों को दी जा सकती है, जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय संघ / अंतर विश्वविद्यालय खेल बोर्ड या खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्राधिकरण के साथ आयोजित खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स द्वारा आयोजित अंतर-वि श्वविद्यालय गेम्स प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो और पदक जीते हों या फाइनल में तीसरे स्थान तक स्थान प्राप्त किया हो।

(घ) अगली वरीयता उन लोगों को दी जा सकती है जिन्होंने खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्राधिकरण के साथ आयोजित खेलो इंडिया युवा खेलों (18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग) या खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों या खेलो इंडिया पैरा खेलों में किसी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हो और पदक जीते हों या फाइनल में तीसरे स्थान तक का स्थान प्राप्त किया हो।

(ङ) अगली वरीयता उन लोगों को दी जा सकती है जिन्होंने अखिल भारतीय स्कूल खेल महासंघ द्वारा आयोजित स्कूलों के लिए राष्ट्रीय स्पोर्ट्स /गेम्स में राज्य के स्कूलों का प्रतिनिधित्व किया हो और पदक जीते हों या तीसरे स्थान तक का स्थान प्राप्त किया हो।

(च) अगली वरीयता उन लोगों को दी जा सकती है जिन्होंने श्रेणियों (बी) से (ई) में उल्लिखित स्तर पर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / विश्वविद्यालय / राज्य स्कूल टीमों का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन वरीयता के उसी क्रम में पदक या स्थान नहीं जीत सके।

7. उन खेलों की सूची जो मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए अर्ह हैं

क्रम सं.	खेल का नाम	क्रम सं.	खेल का नाम	क्रम सं.	खेल का नाम
1	तीरंदाजी,	23	हैंडबॉल	45	रोइंग
2	एथलेटिक्स	24	हॉकी	46	रग्बी
3	आत्या-पात्या	25	आइस हॉकी	47	लात टकराओ
4	बैडमिंटन	26	आइस स्केटिंग	48	सॉफ्ट बॉल
5	बॉल-बैडमिंटन	27	बर्फ -स्कीइंग	49	सॉफ्ट टेनिस
6	बेसबॉल	28	जूदो	50	स्क्वाश
7	बास्केटबॉल	29	कबड्डी	51	तैरना
8	बिलियर्ड्स व स्नूकर	30	कराटे	52	टेबल टेनिस
9	बॉडी बिल्डिंग	31	क्याकिंग और कैनोइंग	53	तायक्वोंडो
10	मुक्केबाज़ी	32	खो -खो	54	टेनी-कोइट
11	पुल	33	कूडो	55	टेनिस

12	कैरम	34	मलखंब	56	दस पिन गेंदबाजी
13	शतरंज	35	मोटर स्पोर्ट्स	57	ट्राइथलॉन
14	क्रिकेट	36	नेट बॉल	58	रस्साकशी
15	साइकिल चलाना	37	पैरास्पोर्ट्स (पैरा ओलिंपिक और पैरा एशियाई खेलों में शामिल खेलों के लिए)	59	वॉलीबॉल
16	साइकिल पोलो	38	पेनकैक सिलाट	60	भारोत्तोलन
17	बधिर खेल	39	पोलो	61	वुशु
18	घुड़सवारी खेल	40	पावर लिफ्टिंग	62	कुश्ती
19	बाड़ लगाना	41	शूटिंग	63	नौकायन
20	फ़ुटबॉल	42	शूटिंग बॉल	64	टेनिस बॉल क्रिकेट
21	गोल्फ़	43	रोल बॉल	65	योगासन
22	कसरत	44	रोलर स्केटिंग		

8. उम्मीदवारों का चयन

आवेदनों की जांच की जाएगी और उपयुक्त उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। विभाग को उम्मीदवारों की साख पर आधारित फील्ड ट्रायल के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या तय करने का अधिकार है। पात्र उम्मीदवारों को खेल से संबंधित फील्ड टेस्ट में शामिल होना होगा।

उपर्युक्त परीक्षणों में सफलता नियुक्ति का अधिकार नहीं देती है जब तक कि विभाग ऐसी जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए जिसे आवश्यक माना जाए कि उम्मीदवार पद पर नियुक्ति के लिए सभी मामलों में उपयुक्त है।

9. उम्मीदवारों के फिटनेस स्तर और प्रदर्शन की जांच के लिए फील्ड ट्रायल आयोजित किया जाएगा। फील्ड ट्रायल के अंक दिए जाएंगे और रैंकिंग के उद्देश्य से भी इसकी गणना की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार किसी भी कारण से फिटनेस टेस्ट देने में असमर्थ है या टेस्ट देने के बाद भी फिट नहीं पाया जाता है, तो उम्मीदवार को पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। वर्तमान फॉर्म का मूल्यांकन कैलेंडर वर्ष 2024, 2023, 2022, 2021 और 2020 में मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट/इवेंट में भागीदारी के वर्ष के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए विवरण अनुलग्नक-I के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

10. चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कर सहायक / आशुलिपिक / हवलदार / कैंटीन अटेंडेंट के पद के लिए लिखित परीक्षा अंग्रेजी / हिंदी में होगी और इसमें सामान्य ज्ञान, तर्क, संख्यात्मक / मात्रात्मक योग्यता, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य जागरूकता में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे। लिखित परीक्षा पूर्णतः अर्हक प्रकृति की होगी। कर सहायक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 15 मिनट का डाटा एंट्री टेस्ट देना होगा। आशुलिपिक ग्रेड-II पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्टेनोग्राफर के लिए कौशल परीक्षा देनी होगी। हवलदार के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण होगा। फील्ड ट्रायल में प्राप्त कुल अंकों और मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को चयन हेतु रैंक दी जाएगी।

11. फील्ड ट्रायल और लिखित परीक्षा कोच्चि में आयोजित की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को बाद में सूचित की जाने वाली तारीखों और समय पर अपने स्वयं के खर्च पर इसमें उपस्थित होना होगा।

12. आवेदक को निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी चाहिए।

(i) आयु के प्रमाण के लिए मैट्रिकुलेशन/एसएससी या समकक्ष प्रमाण पत्र।

(ii) शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र।

(iii) अनुलग्नक-I में उल्लिखित स्पोर्ट्स /गेम्स प्रमाण पत्र

(iv) अनुलग्नक-A में उल्लिखित स्पोर्ट्स /गेम्स प्रमाण पत्र के लिए संबंधित प्रपत्र

(v) जाति प्रमाण के रूप में जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

13. खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्राधिकारियों के अलावा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित खेल उपलब्धियों (प्रपत्रों) पर विचार नहीं किया जाएगा।

14. जो खिलाड़ी पहले से ही केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत हैं, उन्हें वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

15. चयनित अभ्यर्थी 2 वर्ष की अवधि अथवा भारत सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा पर रहेंगे। विभाग की ओर से टूर्नामेंट/मीट में उनकी भागीदारी भी उनकी परिवीक्षा की घोषणा में निर्णायक कारक होगी। चयनित उम्मीदवारों को कम से कम 10 वर्षों के लिए निर्धारित टूर्नामेंट/मीट में केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना होगा। **चयनित अभ्यर्थियों को एक वचन पत्र पर**

भी हस्ताक्षर करना होगा कि वह 10 वर्ष की अवधि तक अंतर-क्षेत्रीय स्थानांतरण नहीं चाहेंगे।

16. किसी भी अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का पक्ष-प्रचार करने पर उसकी उम्मीदवारी को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

17. केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के प्रधान आयुक्त को भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का अधिकार है।

18. किसी भी बराबरी की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

19. यह भर्ती भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती के लिए लागू नियमों के अधीन है।

20.अनुलग्नक "https://cenexcisekochi.gov.in/" से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

21. किसी भी अपडेट के लिए कृपया "https://cenexcisekochi.gov.in/" पर जाएं

अपर आयुक्त (का व सत)
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय,
कोच्चि आयुक्तालय, मुख्यालय, केंद्रीय राजस्व भवन,
आई एस प्रेस रोड, कोच्चि -682018

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय,
केंद्रीय राजस्व भवन, आई एस प्रेस रोड, कोच्चि -682018

फैक्स :0484-2390608 **दूरभाष :0484-2390404**

अधिसूचना

GEXCOM/II/(3)/43/2020-ESTT : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कैंटीन स्टाफ के विभिन्न कैडरों में रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती नियमों के अनुसार वांछित योग्यताओं से युक्त पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं |

सहायक हलवाई एवं कुक

सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या = 1 (अनारक्षित – 1)

वेतन मैट्रिक्स - वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19,900 – 63,200 रुपये)

	पात्रता मानदंड
i) शैक्षिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कैटरिंग में प्रमाणपत्र या डिप्लोमा के साथ एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	
ii) अनुभव	खाना पकाने में एक वर्ष का अनुभव	
iii) कौशल परीक्षण	अभ्यर्थी की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए स्वच्छता बनाए रखने सहित खाना पकाने के लिए एक व्यापार कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी।

1) **क्लर्क**

सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या = 1 (अनारक्षित – 1)

वेतन मैट्रिक्स - वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19,900 – 63,200 रुपये) पात्रता मानदंड	
i) शैक्षिक योग्यता	एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कॉमर्स के साथ 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष
ii) टाइप करने की गति	कंप्यूटर पर अंग्रेज़ी में प्रति मिनट 35 शब्दों की या कंप्यूटर पर हिंदी में प्रति मिनट 30 शब्दों की एक टाइपिंग गति (प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी अवसाद के औसत पर प्रति घंटे 10500 कुंजी अवसाद या 9000 कुंजी अवसाद के अनुरूप)

2) **कैंटीन अटेंडेंट**

सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या = 12 [अनारक्षित – 7, अ जा -1, अ पि व -3, आ पि व -1)
कुल -12 पूर्व सैनिक -1, ऊंचा सुनने वाला(एचएच)-1]

वेतन मैट्रिक्स - वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1 (18,000-56,900 रुपये)

पात्रता मानदंड	
i) शैक्षिक योग्यता	एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिक या समकक्ष

आयु सीमा

उपर्युक्त पदों के लिए आवेदन करने की आयु सीमा : 18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष की आयु तक छूट देने योग्य है).

जन्म तिथि का प्रमाण : आयु पात्रता निर्धारित करने के लिए केवल मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि को ही स्वीकार किया जाएगा।

विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों का विवरण जिन पर आयु सीमा में छूट लागू है तथा लागू आयु में छूट की सीमा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.03.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15012/2/2010-स्था.(डी) के माध्यम से सूचित कर दी गई है। उक्त कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट www.cenexcisekochi.gov.in पर संदर्भ के लिए उपलब्ध है। आयु सीमा/आवश्यक योग्यता (ईक्यू)/अनुभव के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 25.10.2024 होगी ।

चयन प्रक्रिया

आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र में शैक्षिक योग्यता (ईक्यू), अनुभव, श्रेणी, आयु, आयु-छूट आदि (जैसा लागू हो) के संबंध में सभी सहायक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न कर सकते हैं | जो अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना चाहिए। एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

केवल वे अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं जो ऊपर उल्लिखित आवश्यक पात्रता मानदंड और अनुभव को पूरा करते हों। कोई आवेदन शुल्क नहीं है। अपूर्ण आवेदन, हस्ताक्षर रहित आवेदन, या बिना फोटोग्राफ/सभी सहायक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के आवेदन को अमान्य माना जाएगा तथा उम्मीदवार को सूचित किए बिना अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा न करने वाले आवेदकों की उम्मीदवारी बिना किसी सूचना के भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में रद्द कर दी जाएगी। चयन समिति प्राप्त आवेदनों की जांच करेगी तथा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक ऊपर निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले चयनित अभ्यर्थियों को आवेदित पद के अनुसार कौशल परीक्षण या टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यदि आवश्यक समझा जाए तो उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है। नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। भर्ती प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए रद्द या स्थगित किया जा सकता है।

सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र डाक द्वारा दिनांक **25.10.2024** तक या उससे पहले प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, केंद्रीय राजस्व भवन, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि-682018, केरल के पते पर पहुंच जाना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा, तथा अस्वीकृत आवेदन पत्रों के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा। यह कार्यालय किसी भी डाक विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आवेदन वाले लिफाफे पर मोटे अक्षरों में "विभागीय कैंटीन पदों के लिए आवेदन/ APPLICATION FOR DEPARTMENTAL CANTEEN POSTS " लिखा होना चाहिए तथा लिफाफे के बायीं ओर ऊपरी कोने पर आवेदित पद का नाम/ NAME OF THE POST APPLIED FOR भी लिखा होना चाहिए।

आवेदन पत्र केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट - www.cenexcisekochi.gov.in से 'सार्वजनिक आदेश/Public Orders' - 'एसएससी भर्ती/SSC Recruitment' शीर्षक के अंतर्गत डाउनलोड किया जा सकता है।

अपर आयुक्त (का व सत)

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(20)/108/2020-ACCTS

एडवांस कॉल

विषय :- स्रोत पर कर की कटौती - वित्त वर्ष 2024 - 25 के लिए आयकर विवरण - एडवांस कॉल - संबंधित।

वित्त वर्ष 2024 - 25 के लिए वार्षिक आयकर विवरण कृपया पीएफएमएस (ईआईएस) पोर्टल पर व्यक्तिगत लॉगिन के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा में दो प्रतियों में, विवरणों के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय में दिनांक 30.11.2024 को या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। **सहायक दस्तावेजों के साथ विवरण की प्रति मेल आईडी: paybill112017@gmail.com पर भी ई-मेल की जा सकती है।**

आयकर विवरण तैयार करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए, अधिकारी कृपया आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 - बीएसी के तहत आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ लें, कुछ खंडों के तहत किसी भी छूट या कटौती का लाभ न उठाकर आय पर कर की गणना करने का विकल्प प्रदान किया गया है।

वेतन

वेतन में शामिल हैं

1. एफआर 9(21) में परिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन और वेतन का अग्रिम।
2. बोनस
3. महंगाई भत्ता

4. प्रतिपूरक भत्ता
5. मकान किराया भत्ता [धारा 10(13ए) के तहत छूट के प्रावधान के साथ]
6. किराया-मुक्त क्वार्टर का मूल्य
7. कर्मचारी द्वारा रखी जाने वाली फीस [आवर्ती या गैर-आवर्ती]
8. मानदेय
9. ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति
10. पेंशन (लेकिन पारिवारिक पेंशन वेतन के अंतर्गत शामिल नहीं है)
11. निर्वाह भत्ता
12. अंतरिम राहत, यदि कोई हो
13. ओवरटाइम भत्ता
14. एलटीसी पर छुट्टी नकदीकरण
15. नई पेंशन योजना में सरकार या किसी अन्य नियोक्ता का योगदान।
16. भविष्य निधि में अंशदान पर अर्जित ब्याज, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित भविष्य निधि में अंशदान पर अर्जित ब्याज के रूप में कोई भी आय, जो वित्त वर्ष में 5,00,000/- रुपये (पांच लाख रुपये) से अधिक हो, कर योग्य होगी, बशर्ते कि नियोक्ता द्वारा कोई अंशदान नहीं किया गया हो।

<u>वेतन में शामिल नहीं है</u>

1. बच्चों की शिक्षा भत्ता जो अधिकतम दो बच्चों तक प्रति बच्चा 100 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगा।
2. पोशाक भत्ता।
3. छुट्टी यात्रा रियायत का मूल्य।

<u>मकान किराया भत्ता [धारा 80GG]</u>

यदि कर्मचारी किराए के मकान में रह रहा है, तो निम्न में से कम से कम छूट की अनुमति है:

1. प्राप्त HRA की वास्तविक राशि, या
2. वेतन के 10% से अधिक भुगतान किया गया किराया, या
3. यदि निवास मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या चेन्नई में है, तो वेतन का 50%, यदि निवास किसी अन्य स्थान पर स्थित है, तो वेतन का 40%। यदि कोई कर्मचारी अपने घर में रहता है, या ऐसे घर में रहता है, जहाँ वह कोई किराया नहीं देता है/वेतन के 10% से अधिक किराया नहीं देता है, तो कोई छूट उपलब्ध नहीं है और उसके द्वारा प्राप्त HRA की पूरी राशि कर योग्य है।
4. यदि मकान किराया भत्ता 100000/- रुपये से अधिक है, तो मालिक का पैन नंबर भी प्रदान किया जा सकता है। HRA छूट का दावा करने पर फॉर्म 10B भी जमा किया जा सकता है।

<u>गृह संपत्ति से आय</u>

यदि किसी कर्मचारी की किसी अन्य शीर्ष जैसे गृह संपत्ति, लाभांश, ब्याज आदि से आय होती है, तो वह ऐसी आय और उसके स्रोत के तहत काटे गए कर का विवरण अपने नियोक्ता को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कर सकता है और नियोक्ता ऐसी आय को

भी ध्यान में रखते हुए कुल कर देयता की गणना कर सकता है और वेतन से उचित कर की कटौती कर सकता है।

'गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के तहत 'नुकसान'- किराए पर दी गई संपत्ति के मामले में, यदि शुद्ध आय नुकसान होती है, तो इसे अन्य शीर्षों के तहत आय के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है। स्व-कब्जे वाली संपत्ति के मामले में, उधार ली गई पूंजी पर ब्याज को किसी अन्य शीर्ष के तहत आय के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है, जो धारा 24 के अंतर्गत अधिकतम 30,000/- रुपये या 2 लाख रुपये तक हो सकता है।

ऐसे मामले में जहां संपत्ति दिनांक 01.04.1999 को या उसके बाद उधार ली गई पूंजी के माध्यम से अर्जित या निर्मित की गई हो तथा अधिग्रहण/निर्माण उस वित्त वर्ष की समाप्ति से 3 वर्षों के भीतर पूरा हो गया हो जिसमें पूंजी उधार ली गई थी, ऐसी उधार ली गई पूंजी पर ब्याज अधिकतम 2 लाख रुपये तक कटौती योग्य है।

<u>कटौतियाँ</u>

वेतन से अनुमेय सीमा तक निम्नलिखित कटौतियाँ अनुमत हैं: -

1. पुरानी व्यवस्था में धारा **16(ia)** में मानक कटौती के रूप में 50,000/- रुपये या वेतन की राशि, जो भी कम हो, की कटौती की अनुमति है। नई कर व्यवस्था में 75000 / -रु तक या वेतन की राशि, जो भी कम हो, की कटौती की अनुमति है।

2. व्यावसायिक कर: -

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान वास्तव में भुगतान की गई राशि। [धारा 16(i)]

3. मनोरंजन भत्ता: -

सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त मनोरंजन भत्ता उसके वेतन का पाँचवाँ हिस्सा या 5,000/- रुपये, जो भी कम हो।

[धारा 16(ii)]

1. धारा 80सी के अंतर्गत

(i) जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान, बीमित राशि के 10% तक सीमित।

(ii) आस्थगित वार्षिकी के लिए अनुबंध को प्रभावी बनाना या लागू रखना

(iii) भविष्य निधि में अंशदान (अग्रिम/ऋण की चुकौती शामिल नहीं है)

कृपया ध्यान दें कि, दिनांक 11/10/2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार एक वित्तीय वर्ष के लिए जीपीएफ अंशदान सीमा (वर्तमान में 5,00,000/- रुपये) से अधिक नहीं होना चाहिए

(iv) स्वीकृत सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान।

(v) केंद्र सरकार की ऐसी किसी भी प्रतिभूति/जमा योजना में अभिदान;

(vi) सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी ऐसे बचत प्रमाणपत्र में अंशदान;

(vii) यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में अंशदान;

(viii) किसी म्यूचुअल फंड की इकाइयों में अभिदान;

(ix) किसी म्यूचुअल फंड द्वारा स्थापित किसी पेंशन फंड में अंशदान;

(x) राष्ट्रीय आवास बैंक की किसी ऐसी जमा योजना में सदस्यता जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

(xi) भारत में गठित किसी प्राधिकरण की किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की किसी ऐसी जमा योजना में अभिदान जो आवासीय प्रयोजनों के लिए मकानों के निर्माण/खरीद के लिए दीर्घावधि वित्तपोषण में लगी हुई है या भारत में शहरों की योजना, विकास, सुधार आदि के प्रयोजन के लिए गठित किसी प्राधिकरण की जमा योजना में अभिदान।

(xii) दो बच्चों तक सीमित ट्यूशन फीस का भुगतान।

(xiii) सरकार/बैंक/एलआईसी/सहकारी बैंक/आवास बोर्ड/विकास प्राधिकरण आदि से आवासीय संपत्ति के निर्माण/खरीद के लिए उधार ली गई राशि की कोई किस्त या आंशिक भुगतान।

(xiv) किसी भी "पूंजी के पात्र निर्गम" का हिस्सा बनने वाले इक्विटी शेयरों/डिबेंचर में अभिदान।

(xv) भारतीय स्टेट बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या अनुसूचित बैंक या डाकघर की पांच वर्षीय सावधि जमा योजना में न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा।

1. एलआईसी के नए पेंशन फंड में अंशदान (धारा 80सीसीसी):-

धारा के फंड से पेंशन प्राप्त करने के लिए एलआईसी या किसी अन्य बीमाकर्ता की किसी वार्षिकी योजना को लागू रखने हेतु अधिकतम एक लाख पचास हजार रुपये तक का भुगतान की कटौती कर योग्य आय से की जानी चाहिए।

2. **नई पेंशन योजना में अंशदान, वेतन के 20% तक सीमित। (धारा 80सीसीडी (1))**

(i) नई पेंशन योजना में सकल कुल आय के बीस प्रतिशत तक अंशदान। [करदाता की मृत्यु पर नामिती द्वारा प्राप्त राशि उपधारा (3)(ए) के तहत नामिती की आय नहीं मानी जाएगी।]

(ii) उपर्युक्त (i) के अलावा कटौती के रूप में पचास हजार रुपये से अधिक की कटौती की अनुमति नहीं है। [धारा 80सीसीडी (1) और (आई-बी)

धारा 80-सी, 80सीसीसी और 80सीसीडी की उपधारा (1) के तहत कटौतियों की कुल राशि एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। (धारा 80सीसीई)

3. **इक्विटी बचत योजना (एसईसी 80सीसीजी) के तहत किया गया निवेश**

4. चिकित्सा बीमा/सीजीएचएस/निवारक स्वास्थ्य जांच
(धारा **80**डी)

चिकित्सा बीमा के लिए नकद के अलावा किसी अन्य भुगतान माध्यम से भुगतान किया गया कोई भी प्रीमियम अधिकतम **25000/-** रुपये तक होगा। यह भारतीय साधारण बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा प्रायोजित किसी भी योजना के तहत बीमा पर लागू है। इसके अलावा, यदि माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो माता-पिता के लिए **50,000/-** रुपये तक का कोई भी प्रीमियम भुगतान किया जा सकता है। निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए नकद सहित किसी भी माध्यम से स्वयं/परिवार/माता-पिता के लिए **5000/-** रुपये तक का भुगतान भी अधिकतम **50,000/-** रुपये के भीतर किया जा सकता है।

स्वास्थ्य बीमा कवर के बिना वरिष्ठ-नागरिक के चिकित्सा व्यय के लिए 50,000/- रुपये का भुगतान। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अन्य योजना में किए गए किसी भी योगदान की कुल कटौती **50,000/-** रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए (धारा **80**डी)

9. विकलांग आश्रित (धारा 80 डीडी): -

ऐसे करदाताओं के लिए 75,000 रुपये की राशि, जो विकलांग व्यक्ति के आश्रित के चिकित्सा उपचार (नर्सिंग सहित)/प्रशिक्षण और पुनर्वास पर व्यय करते हैं, तथा गंभीर विकलांगता के मामले में 1,25,000 रुपये की राशि।

10. चिकित्सा उपचार (धारा 80 डीडीबी): -

कैंसर या एड्स से पीड़ित रोगी या आश्रित को उपचार पर काफी खर्च होने पर 40,000 रुपये तक की वास्तविक व्यय की विशेष कटौती और यदि ऐसा आश्रित वरिष्ठ नागरिक है, यानी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, तो 1,00,000 रुपये की कटौती। हालांकि, यह चिकित्सा बीमा के माध्यम से प्राप्त किसी भी राशि की कटौती के अधीन होगा।

11.शिक्षा ऋण (धारा 80ई): -

यदि करदाता ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए किसी वित्तीय संस्थान या धर्मार्थ संस्थान से ऋण लिया है, तो वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ब्याज की राशि को कर योग्य आय से तब तक घटाया जा सकता है जब तक कि ब्याज सहित ऋण का भुगतान नहीं हो जाता या आठ वर्ष की अवधि के लिए, जो भी पहले हो।

12.धारा 80-यू:

दिव्यांगता वाले करदाता के मामले में 75,000/- रुपए तथा गंभीर दिव्यांगता वाले करदाता के मामले में 1,25,000/- रुपए।

धारा **24(**बी)

आप होम लोन के ब्याज भुगतान पर **2** लाख रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है तो पूरी ब्याज राशि पर कर कटौती का दावा किया जा सकता है।

दान

धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान दो श्रेणियों में आते हैं, (ए) वे जिन्हें संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है और (बी) वे जिनके लिए करदाता केवल संबंधित आईटीओ से अपने वार्षिक आयकर रिटर्न के माध्यम से रीफंड प्राप्त कर सकते हैं।

कुछ दान के संबंध में, यानी क्रम संख्या 1 से 4 तक कुल दान का **पचास प्रतिशत** कर योग्य आय से काटा जाएगा, और 5 से 23 तक दान की **पूरी राशि** कर योग्य आय से काटी जाएगी।

धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान दो श्रेणियों में आते हैं, (ए) जिन्हें संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है और (बी) जिनके लिए करदाता केवल संबंधित आईटीओ से अपने वार्षिक आयकर रिटर्न के माध्यम से वापसी प्राप्त कर सकते हैं।

वह दान जिसे संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है।

1)प्रधान मंत्री सूखा राहत कोष- कटौती किए जाने वाले कुल दान का 50%।
2) राष्ट्रीय रक्षा कोष
3) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या पीएम केयर्स फंड
4) जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड[50%]
5) इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट[50%]
6) राजीव गांधी फाउंडेशन[50%]
7) प्रधानमंत्री आर्मेनिया भूकंप राहत कोष
8) अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान-भारत) कोष
9) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन
10) कोई विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय स्तर का कोई शैक्षणिक संस्थान जिसे निर्धारित प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी गई हो।

11) राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद या कोई राज्य रक्त आधान परिषद, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत में रक्त बैंकों के संचालन और आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं के नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन के लिए हो।

12)सेना केंद्रीय कल्याण कोष या भारतीय नौसेना हितकारी निधि या संघ के सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित वायु सेना केंद्रीय कल्याण कोष।

13) आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चक्रवात राहत कोष।

14) राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष।

15) किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष, जैसा भी मामला हो।

16) राष्ट्रीय खेल कोष।

17) राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष।

18) प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए कोष।

19) ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट।

20) राष्ट्रीय बाल कोष

21) स्वच्छ भारत कोष

22) स्वच्छ गंगा कोष

23) नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष

[धारा 80-जी के तहत अनुमोदित संस्थानों/धर्मार्थ ट्रस्टों को किसी भी अन्य दान के संबंध में, कर्मचारियों को आईटीओ से वापसी का दावा करना होगा]

कर योग्य आय की गणना अनुमेय सीमा तक कटौती की अनुमति देकर की जाती है और इसे दस रुपये के गुणक में पूर्णांकित किया जाता है, पाँच रुपये और उससे अधिक को अगले उच्चतर दस रुपये में पूर्णांकित किया जाता है। **[धारा 288-ए]**

कुल कर योग्य आय पर, चालू वर्ष के टैरिफ के आधार पर आयकर की गणना की जाती है और उसे निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाता है। [धारा 288-बी]

आयकर दरें {व्यक्तियों के लिए}पुरानी व्यवस्था के तहत

INCOME TAX RATES {For individuals}UNDER OLD REGIME

आय स्लैब/Income Slab	पुरानी व्यवस्था के तहत आयकर की दर Rate of Income Tax under Old Regime

2,50,000/- रुपये तक Upto Rs.2,50,000/-	शून्य/Nil
2,50,001–5,00,000/- रुपये 2,50,001–5,00,000/-	2,50,000/-रुपये से अधिक कुल का 5% 5% of the total exceeding Rs.2,50,000/-
5,00,001–10,00,000/-रुपये_ 5,00,001–10,00,000/-	5,00,000/ से अधिक कुल आय का 20% 20% of the total income exceeding Rs.5,00,000/-
10,00,001-15,00,000/-रुपये 10,00,001-15,00,000/-	10,00,000/-से अधिक कुल आय का 30% 30% of the total income exceeding Rs.10,00,000/-
15,00,001- और उससे अधिक रुपये 15,00,001- and above	10,00,000/- से अधिक कुल आय का 30% 30% of the total income exceeding Rs.10,00,000/-

*आयकर में छूट:- व्यक्तियों के संबंध में कर के लिए 12500/- रुपये तक की छूट 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले। **[धारा 87ए]**

नई व्यवस्था के तहत आयकर दरें {व्यक्तियों के लिए}

Income Tax Rates{For individuals} under new Regime

आय स्लैब **Income Slab**	नई व्यवस्था के तहत आयकर की दर **Rate of Income tax under New Regime**
3,00,000/- रुपये तक Upto Rs.3,00,000/-	शून्य/Nil
3,00,001-7,00,000/- **रुपये** 3,00,001-7,00,000/-	*3,00,000/- रुपये से अधिक कुल का 5% *5% of the total exceeding Rs.3,00,000/-
7,00,001-10,00,000/-रुपये 7,00,001-10,00,000/-	7,00,000/- रुपये से अधिक कुल का 10% 10% of the total exceeding Rs.7,00,000/-
10,00,001-12,00,000/-रुपये 10,00,001-12,00,000/-	10,00,000/- रुपये से अधिक कुल का 15% 15% of the total exceeding Rs 10,00,000/-
12,00,001-15,00,000/-रुपये 12,00,001-15,00,000/-	12,00,000/-रुपये से अधिक कुल आय का 20% 20% of the total income exceeding Rs.12,00,000/-
15,00,001/- रुपये से अधिक Above Rs.15,00,001/-	15,00,000/- रुपये से अधिक कुल आय का 30% 30% of the total income exceeding Rs.15,00,000/-

*** धारा 87ए के तहत कुल आय पर आयकर की राशि से अधिकतम 25000/- रुपये**

तक की छूट उपलब्ध है, यदि धारा 115बीएसी(1ए) के तहत कर योग्य करदाता की कुल आय 7,00,000/- रुपये तक है। इसके अतिरिक्त, यदि कर योग्य कुल आय 7,00,000/- रुपये से अधिक है और ऐसी आय पर देय कर कुल आय और 7,00,000/- रुपये के बीच के अंतर से अधिक है, तो करदाता ऐसी कुल आय पर देय कर और 7,00,000/- रुपये से अधिक राशि के बीच के अंतर की सीमा तक सीमांत राहत के साथ छूट का दावा कर सकता है।

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर: सभी मामलों में कुल कर पर 4% का भुगतान किया जाना है।

नोट:

आयकर विवरण www.pfms.nic.in वेबसाइट के माध्यम से व्यक्तिगत अधिकारियों को प्रदान की गई उपयोगकर्ता आईडी का उपयोग करके तैयार किया जाना चाहिए और ईआईएस (कर्मचारी सूचना प्रणाली) में किया जाना चाहिए और इसे ऑनलाइन और हार्ड कॉपी के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) को प्रस्तुत किया जा सकता है। विवरण की हार्ड कॉपी जमा करते समय, पुरानी व्यवस्था को चुनने वाले अधिकारियों को सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसके लिए आयकर विवरण में कटौती का दावा किया जाता है। यदि कोई कर्मचारी पैन प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो धारा 206AA के तहत निर्दिष्ट उच्च दरों पर कर काटा जाएगा।

सभी से अनुरोध है कि वे वार्षिक आयकर विवरण (दो प्रतियों में) सहायक दस्तावेजों के साथ दिनांक 30.11.2024 तक या उससे पहले अवश्य जमा करें।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त [का. व सत.]

सेवा में /**To**

1. मुख्यालय के सभी अनुभाग प्रमुख [मानक सूची के अनुसार].

प्रति प्रस्तुत है

1. सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोचिन
2. अपर आयुक्त (का व सत)/ संयुक्त आयुक्त (तक), सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोचिन
3. सीजीएसटी मंडल कार्यालयों/ कोचिन आयुक्तालय के मुख्यालय के सभी उप /सहायक आयुक्त

प्रति

1. सूचना पट्ट
2. विभागीय वेबसाइट

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(20)/108/2020-ACCTS

एडवांस कॉल / ADVANCE CALL

विषय :- स्रोत पर कर की कटौती - वित्त वर्ष 2024 - 25 के लिए आयकर विवरण - एडवांस कॉल - संबंधित ।

Sub: - Deduction of tax at source – Income Tax statement for the F.Y. 2024 – 25 – Advance call for – Reg.

वित्त वर्ष 2024 - 25 के लिए वार्षिक आयकर विवरण कृपया पीएफएमएस (ईआईएस) पोर्टल पर व्यक्तिगत लॉगिन के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा में दो प्रतियों में, विवरणों के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय में दिनांक **30.11.2024** को या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। **सहायक दस्तावेजों के साथ विवरण की प्रति मेल आईडी: paybill112017@gmail.com पर भी ई-मेल की जा सकती है।**

The annual income tax statement for the financial year 2024-25 may please be furnished **in duplicate**, in the prescribed proforma available in PFMS (EIS) portal with individual login, along with relevant documents in support of the statements so as to reach this office on or before **30.11.2024. Copy of the statement along with supporting documents may also be e-mailed to the mail ID :paybill112017@gmail.com.**

आयकर विवरण तैयार करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए, अधिकारी कृपया आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 - बीएसी के तहत आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ लें, कुछ खंडों के तहत किसी भी छूट या

कटौती का लाभ न उठाकर आय पर कर की गणना करने का विकल्प प्रदान किया गया है।

The following guidelines are given for preparation of the Income Tax statement. For further details, officers may please refer to the relevant provisions of Income Tax Act under Section 115 – BAC of the Income Tax Act 1961, an option has been provided to compute tax on income by not availing any exemption or deduction under certain clauses.

वेतन

वेतन में शामिल हैं

1. एफआर 9(21) में परिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन और वेतन का अग्रिम।
2. बोनस
3. महंगाई भत्ता
4. प्रतिपूरक भत्ता
5. मकान किराया भत्ता [धारा 10(13ए) के तहत छूट के प्रावधान के साथ]
6. किराया-मुक्त क्वार्टर का मूल्य
7. कर्मचारी द्वारा रखी जाने वाली फीस [आवर्ती या गैर-आवर्ती]
8. मानदेय
9. ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति
10. पेंशन (लेकिन पारिवारिक पेंशन वेतन के अंतर्गत शामिल नहीं है)
11. निर्वाह भत्ता
12. अंतरिम राहत, यदि कोई हो
13. ओवरटाइम भत्ता
14. एलटीसी पर छुट्टी नकदीकरण
15. नई पेंशन योजना में सरकार या किसी अन्य नियोक्ता का योगदान।
16. भविष्य निधि में अंशदान पर अर्जित ब्याज, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित भविष्य निधि में अंशदान पर अर्जित ब्याज के रूप में कोई भी आय, जो वित्त वर्ष में 5,00,000/- रुपये (पांच लाख रुपये) से अधिक हो, कर योग्य होगी, बशर्ते कि नियोक्ता द्वारा कोई अंशदान नहीं किया गया हो।

Salary

Salary includes

1. Pay as defined in FR 9(21), leave salary and Advance of Pay.
2. Bonus
3. Dearness Allowance
4. Compensatory Allowance
5. House Rent Allowance [with provision for exemption under Section 10(13A)]
6. Value of rent-free quarters

7. Fees [recurring or non-recurring] retainable by the employee
8. Honorarium
9. Reimbursement of Tuition Fee
10. Pension (but Family Pension not included under Salary)
11. Subsistence Allowance
12. Interim Relief, if any
13. Overtime Allowance
14. Leave Encashment on LTC
15. Government's or any other employer's contribution to the New Pension Scheme.
16. Interest Earned on Contribution to P.F., Any income by way of interest earned on contribution to Provident Fund Set up by the Central Government in excess of **Rs.5,00,000/- (Rupees Five Lakhs)** in Financial Year will be taxable, satisfying to the condition that no contribution is made by the employer.

वेतन में शामिल नहीं है

1. बच्चों की शिक्षा भत्ता जो अधिकतम दो बच्चों तक प्रति बच्चा 100 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगा।
2. पोशाक भत्ता।
3. छुट्टी यात्रा रियायत का मूल्य।

Salary does not include

1. Children Education Allowance not exceeding Rs.100 per month per child up to a maximum of two children.
2. Dress Allowance.
3. Value of Leave Travel Concession.

मकान किराया भत्ता [धारा 80GG]

यदि कर्मचारी किराए के मकान में रह रहा है, तो निम्न में से कम से कम छूट की अनुमति है:

1. प्राप्त HRA की वास्तविक राशि, या
2. वेतन के 10% से अधिक भुगतान किया गया किराया, या
3. यदि निवास मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या चेन्नई में है, तो वेतन का 50%, यदि निवास किसी अन्य स्थान पर स्थित है, तो वेतन का 40%। यदि कोई कर्मचारी अपने घर में रहता है, या ऐसे घर में रहता है, जहाँ वह कोई किराया नहीं देता है/वेतन के 10% से अधिक किराया नहीं देता है, तो कोई छूट उपलब्ध नहीं है और उसके द्वारा प्राप्त HRA की पूरी राशि कर योग्य है।
4. यदि मकान किराया भत्ता 100000/- रुपये से अधिक है, तो मालिक का पैन नंबर भी प्रदान किया जा सकता है। HRA छूट का दावा करने पर फॉर्म 10B भी जमा किया जा सकता है।

HOUSE RENT ALLOWANCE [SECTION 80GG]

If the employee is living in a rented house, exemption is allowed to the extent of the least of the following:

1. The actual amount of HRA received, or

2. Rent paid in excess of 10% of the salary, or
3. 50% of the salary if the residence is at Mumbai, Calcutta, Delhi or Chennai, 40% of salary if the residence is situated at any other place. If an employee lives in his own house, or in a house where he does not pay any rent/pays rent not exceeding 10% of salary, no exemption available and the entire amount of HRA drawn by him is taxable.
4. If House Rent Allowance exceeds Rs.100000/-, PAN number of the owner may also be provided. Form 10B may also be submitted, if claiming HRA Exemption.

गृह संपत्ति से आय

यदि किसी कर्मचारी की किसी अन्य शीर्ष जैसे गृह संपत्ति, लाभांश, ब्याज आदि से आय होती है, तो वह ऐसी आय और उसके स्रोत के तहत काटे गए कर का विवरण अपने नियोक्ता को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कर सकता है और नियोक्ता ऐसी आय को भी ध्यान में रखते हुए कुल कर देयता की गणना कर सकता है और वेतन से उचित कर की कटौती कर सकता है।

'गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के तहत 'नुकसान'- किराए पर दी गई संपत्ति के मामले में, यदि शुद्ध आय नुकसान होती है, तो इसे अन्य शीर्षों के तहत आय के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है। स्व-कब्जे वाली संपत्ति के मामले में, उधार ली गई पूंजी पर ब्याज को किसी अन्य शीर्ष के तहत आय के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है, जो धारा 24 के अंतर्गत अधिकतम 30,000/- रुपये या 2 लाख रुपये तक हो सकता है।

ऐसे मामले में जहां संपत्ति दिनांक 01.04.1999 को या उसके बाद उधार ली गई पूंजी के माध्यम से अर्जित या निर्मित की गई हो तथा अधिग्रहण/निर्माण उस वित्त वर्ष की समाप्ति से 3 वर्षों के भीतर पूरा हो गया हो जिसमें पूंजी उधार ली गई थी, ऐसी उधार ली गई पूंजी पर ब्याज अधिकतम 2 लाख रुपये तक कटौती योग्य है।

Income from house property

If an employee has income under any other head, viz., income from house property, dividend, interests, etc., he can furnish the particulars of such income and tax deducted under source thereon to his employer in the prescribed form and the employer can compute the total tax liability taking into account such income also and deduct appropriate tax from salary.

'Loss' under the head, 'Income from house property'- In the case of let-out property, if the net income happens to be a loss, it can be set off against the income under other heads. In the case of self-

occupied property, interest on borrowed capital can be set off against income under any other head, subject to a maximum of Rs.30,000/- or Rs.2 Lakhs, as the case may be, under Section 24.

In case where the property was acquired or constructed through capital borrowed on or after 01.04.1999 and acquisition/ construction completed within 3 years from the end of the financial year in which capital was borrowed, interest on such borrowed capital is deductible up to a maximum of Rupees 2 lakhs.

<u>कटौतियाँ</u>

वेतन से अनुमेय सीमा तक निम्नलिखित कटौतियाँ अनुमत हैं: -

1. पुरानी व्यवस्था में धारा **16(ia)** में मानक कटौती के रूप में 50,000/- रुपये या वेतन की राशि, जो भी कम हो, की कटौती की अनुमति है। नई कर व्यवस्था में 75000 / -रु तक या वेतन की राशि, जो भी कम हो, की कटौती की अनुमति है।

2. व्यावसायिक कर: -

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान वास्तव में भुगतान की गई राशि। [धारा 16(i)]

3. मनोरंजन भत्ता: -

सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त मनोरंजन भत्ता उसके वेतन का पाँचवाँ हिस्सा या 5,000/- रुपये, जो भी कम हो।

[धारा 16(ii)]

4. धारा 80सी के अंतर्गत

(i) जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान, बीमित राशि के 10% तक सीमित।

(ii) आस्थगित वार्षिकी के लिए अनुबंध को प्रभावी बनाना या लागू रखना

(iii) भविष्य निधि में अंशदान (अग्रिम/ऋण की चुकौती शामिल नहीं है)

कृपया ध्यान दें कि, दिनांक 11/10/2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार एक वित्तीय वर्ष के लिए जीपीएफ अंशदान सीमा (वर्तमान में 5,00,000/- रुपये) से अधिक नहीं होना चाहिए

(iv) स्वीकृत सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान।

(v) केंद्र सरकार की ऐसी किसी भी प्रतिभूति/जमा योजना में अभिदान;

(vi) सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी ऐसे बचत प्रमाणपत्र में अंशदान;

(vii) यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में अंशदान;

(viii) किसी म्यूचुअल फंड की इकाइयों में अभिदान;

(ix) किसी म्यूचुअल फंड द्वारा स्थापित किसी पेंशन फंड में अंशदान;

(x) राष्ट्रीय आवास बैंक की किसी ऐसी जमा योजना में सदस्यता जिसे केंद्र सरकार

द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

(xi) भारत में गठित किसी प्राधिकरण की किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की किसी ऐसी जमा योजना में अभिदान जो आवासीय प्रयोजनों के लिए मकानों के निर्माण/खरीद के लिए दीर्घावधि वित्तपोषण में लगी हुई है या भारत में शहरों की योजना, विकास, सुधार आदि के प्रयोजन के लिए गठित किसी प्राधिकरण की जमा योजना में अभिदान।

(xii) दो बच्चों तक सीमित ट्यूशन फीस का भुगतान।

(xiii) सरकार/बैंक/एलआईसी/सहकारी बैंक/आवास बोर्ड/विकास प्राधिकरण आदि से आवासीय संपत्ति के निर्माण/खरीद के लिए उधार ली गई राशि की कोई किस्त या आंशिक भुगतान।

(xiv) किसी भी "पूंजी के पात्र निर्गम" का हिस्सा बनने वाले इक्विटी शेयरों/डिबेंचर में अभिदान।

(xv) भारतीय स्टेट बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या अनुसूचित बैंक या डाकघर की पांच वर्षीय सावधि जमा योजना में न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा।

DEDUCTIONS

The following deductions are allowed to the extent permissible from the salary: -

1. **A Deduction of Rs.50000/- or the amount of salary, whichever is less is allowed as standard deduction in Section 16(ia) in Old Regime. A deduction of up to 75000/- or the amount of salary, whichever is less is allowed in the New Tax Regime.**

2. **Professional Tax: -**

   Amount actually paid during the Financial Year 2023-24. **[Section 16(i)]**

3. **Entertainment Allowance: -**

   Entertainment Allowance received by the Government servant up to one-fifth of his salary or Rs.5,000/-, whichever is less. **[Section 16(ii)]**

4. **Under Sec. 80C**

(i) Life Insurance Premia payment, limited to 10% of the sum assured.

(ii) Effect or keep in force a contract for deferred annuity

(iii) Contribution to Provident Fund (does not include repayment of advances/loans)

Kindly note that, as per OM dated 11/10/2022 GPF subscriptions for

a financial year should not exceed the threshold limit (at present Rs.5,00,000/-)

(iv) Contribution to approved superannuation fund.

(v) Subscription to any such security / deposit scheme of the Central Government;

(vi) Subscription to any such savings Certificate as the Government may specify;

(vii) Contribution to Unit Linked Insurance Plan;

(viii) Subscription to units of any Mutual Fund;

(ix) Contribution to any Pension Fund set up by any Mutual Fund;

(x) Subscription to any such Deposit scheme of National Housing Bank as may be notified by Central Government.

(xi) Subscription to any such Deposit scheme of a public sector company of any authority constituted in India which is engaged in long term financing for construction/purchase of houses for Residential purposes or any authority constituted in India for purpose ofplanning, development, improvement of cities etc.

(xii) Tuition fees paid limited to two children.

(xiii) Any installment or part-payment of the amount borrowed for construction/purchase of residential property from Govt./Bank/LIC/Co-operative Bank/Housing Board/Development Authorityetc.

(xiv) Subscription to equity shares/debentures forming part of any "eligible issue of capital".

(xv) Fixed Deposit for a minimum period of 5 years in the State Bank of India or Public Sector Bank or Scheduled Bank or Post Office Five Year Time Deposit Scheme.

5. एलआईसी के नए पेंशन फंड में अंशदान (धारा 80सीसीसी):-

धारा के फंड से पेंशन प्राप्त करने के लिए एलआईसी या किसी अन्य बीमाकर्ता की किसी वार्षिकी योजना को लागू रखने हेतु अधिकतम एक लाख पचास हजार रुपये तक का भुगतान की कटौती कर योग्य आय से की जानी चाहिए।

Contribution to the new Pension Fund of LIC (Sec. 80 CCC): -

Payment Subject to a maximum of one hundred and fifty thousand rupees to keep in force any annuity plan of the LIC or any other insurer for receiving Pension from the Fund of Section should be deducted from the taxable income.

6. नई पेंशन योजना में अंशदान, वेतन के 20% तक सीमित। (धारा 80सीसीडी (1))

(i) नई पेंशन योजना में सकल कुल आय के बीस प्रतिशत तक अंशदान। [करदाता की मृत्यु पर नामिती द्वारा प्राप्त राशि उपधारा (3)(ए) के तहत नामिती की आय नहीं मानी जाएगी।]

(ii) उपर्युक्त (i) के अलावा कटौती के रूप में पचास हजार रुपये से अधिक की कटौती की अनुमति नहीं है। [धारा 80सीसीडी (1) और (आई-बी)

धारा 80-सी, 80सीसीसी और 80सीसीडी की उपधारा (1) के तहत कटौतियों की कुल राशि एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। (धारा 80सीसीई)

Contribution to the New Pension Scheme, limited to 20% of Salary. (Sec.80CCD (1))

(i) Contribution to the New Pension Scheme up to twenty percent of gross total income. [The amount received by a nominee on the death of the assesses shall not be deemed to be the income of the nominee under sub-section (3)(a).]

(ii) A deduction not exceeding fifty thousand rupees is allowed as deduction apart from (i) above. [section 80-CCD (1) and (I-B)

The aggregate amount of deductions under Section 80-C, 80-CCC and sub-section (1) of 80-CCD should not exceed one lakh fifty thousand rupees. **(Sec. 80- CCE)**

7. इक्विटी बचत योजना (एसईसी 80सीसीजी) के तहत किया गया निवेश
Investment made under an equity savings scheme (Sec 80CCG)

8. चिकित्सा बीमा/सीजीएचएस/निवारक स्वास्थ्य जांच
(धारा **80**डी)

चिकित्सा बीमा के लिए नकद के अलावा किसी अन्य भुगतान माध्यम से भुगतान किया गया कोई भी प्रीमियम अधिकतम **25000/-** रुपये तक होगा। यह भारतीय साधारण बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा प्रायोजित किसी भी योजना के तहत बीमा पर लागू है। इसके अलावा, यदि माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो माता-पिता के लिए **50,000/-** रुपये तक का कोई भी प्रीमियम भुगतान किया जा सकता है। निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए नकद सहित किसी भी माध्यम से स्वयं/परिवार/माता-पिता के लिए **5000/-** रुपये तक का भुगतान भी अधिकतम

50,000/- रुपये के भीतर किया जा सकता है।

स्वास्थ्य बीमा कवर के बिना वरिष्ठ-नागरिक के चिकित्सा व्यय के लिए 50,000/- रुपये का भुगतान। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अन्य योजना में किए गए किसी भी योगदान की कुल कटौती **50,000/-** रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए (धारा **80**डी)

Medical Insurance/CGHS/Preventive Health Check-Up (Sec.80D)

Any premium paid BY ANY MODE OF PAYMENT OTHER THAN CASH for medical insurance subject to a maximum of Rs.25000/-. This is applicable to insurance under any scheme sponsored by the General Insurance Corporation of India or any other insurer. In addition, any premium paid for parents up to Rs.50,000/- if parents are senior citizens. Any amount paid for self/family/parents in any mode including cash, for preventive health check-up, up to Rs.5000/- is also allowed within the maximum of Rs.50,000/-.

Payment for medical expenditure of a senior-citizen without health insurance cover Rs.50,000/-. Any contribution made to the central Government Health Scheme or such other scheme as may be notified by the central government, the aggregate of the deduction should not be more than Rs.50,000/-(**Sec.80 D.)**

9. विकलांग आश्रित (धारा 80 डीडी): -

ऐसे करदाताओं के लिए 75,000 रुपये की राशि, जो विकलांग व्यक्ति के आश्रित के चिकित्सा उपचार (नर्सिंग सहित)/प्रशिक्षण और पुनर्वास पर व्यय करते हैं, तथा गंभीर विकलांगता के मामले में 1,25,000 रुपये की राशि।

Handicapped dependent (Sec.80 DD): -

An amount of Rs.75,000 for assesses who incur expenditure in medical treatment (including nursing)/training and rehabilitation of a dependent being a person with disability and Rs.1,25,000 in the case of severe disability.

10. चिकित्सा उपचार (धारा 80 डीडीबी): -

कैंसर या एड्स से पीड़ित रोगी या आश्रित को उपचार पर काफी खर्च होने पर 40,000 रुपये तक की वास्तविक व्यय की विशेष कटौती और यदि ऐसा आश्रित वरिष्ठ नागरिक है, यानी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, तो 1,00,000 रुपये की कटौती। हालांकि, यह चिकित्सा बीमा के

माध्यम से प्राप्त किसी भी राशि की कटौती के अधीन होगा।

Medical Treatment (Sec 80 DDB): -

Special deduction of actual expenditure limited to Rs.40,000 to the patient or a dependent suffering from cancer or AIDs involving considerable expenditure on treatment and Rs.1,00,000/- if such dependent is a senior citizen, i.e., who is the age of 60 years or more. This will however be subject to deduction of any amount received through medical insurance if any.

11.शिक्षा ऋण (धारा 80ई): -

यदि करदाता ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए किसी वित्तीय संस्थान या धर्मार्थ संस्थान से ऋण लिया है, तो वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ब्याज की राशि को कर योग्य आय से तब तक घटाया जा सकता है जब तक कि ब्याज सहित ऋण का भुगतान नहीं हो जाता या आठ वर्ष की अवधि के लिए, जो भी पहले हो।

Education Loan (Sec 80E): -

If an assessee has taken any loan from any financial institution or charitable institution for purpose of his higher education, the amount of interest paid during the year can be deducted from the taxable income till the loan including interest is cleared or for a period of eight years, whichever is earlier.

12.धारा 80-यू:

दिव्यांगता वाले करदाता के मामले में 75,000/- रुपए तथा गंभीर दिव्यांगता वाले करदाता के मामले में 1,25,000/- रुपए।

Section 80-U:

Rs. 75,000/- in the case of assesses who is a person with disability and Rs.1,25,000/- if he is a person with severe disability.

धारा **24**(बी)

आप होम लोन के ब्याज भुगतान पर **2** लाख रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है तो पूरी ब्याज राशि पर कर कटौती का दावा किया जा सकता है।

Section 24(B)

You can claim up to Rs.2 lakhs as tax deduction on the home loan interest payment. If your property is a let out one then the entire interest amount can be claimed as tax deduction.

दान

धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान दो श्रेणियों में आते हैं, (ए) वे जिन्हें संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है और (बी) वे जिनके लिए करदाता केवल संबंधित आईटीओ से अपने वार्षिक आयकर रिटर्न के माध्यम से रीफंड प्राप्त कर सकते हैं।

कुछ दान के संबंध में, यानी क्रम संख्या 1 से 4 तक कुल दान का **पचास प्रतिशत** कर योग्य आय से काटा जाएगा, और 5 से 23 तक दान की **पूरी राशि** कर योग्य आय से काटी जाएगी।

धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान दो श्रेणियों में आते हैं, (ए) जिन्हें संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है और (बी) जिनके लिए करदाता केवल संबंधित आईटीओ से अपने वार्षिक आयकर रिटर्न के माध्यम से वापसी प्राप्त कर सकते हैं।

वह दान जिसे संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है।

1)प्रधान मंत्री सूखा राहत कोष- कटौती किए जाने वाले कुल दान का 50%।
2) राष्ट्रीय रक्षा कोष
3) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या पीएम केयर्स फंड
4) जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड[50%]
5) इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट[50%]
6) राजीव गांधी फाउंडेशन[50%]
7) प्रधानमंत्री आर्मेनिया भूकंप राहत कोष
8) अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान-भारत) कोष
9) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन
10) कोई विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय स्तर का कोई शैक्षणिक संस्थान जिसे निर्धारित प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी गई हो।
11) राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद या कोई राज्य रक्त आधान परिषद, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत में रक्त बैंकों के संचालन और आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं के नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन के लिए हो।
12)सेना केंद्रीय कल्याण कोष या भारतीय नौसेना हितकारी निधि या संघ के सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित वायु सेना केंद्रीय कल्याण कोष।

13) आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चक्रवात राहत कोष।

14) राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष।

15) किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष, जैसा भी मामला हो।

16) राष्ट्रीय खेल कोष।

17) राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष।

18) प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए कोष।

19) ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट।

20) राष्ट्रीय बाल कोष

21) स्वच्छ भारत कोष

22) स्वच्छ गंगा कोष

23) नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष

[धारा 80-जी के तहत अनुमोदित संस्थानों/धर्मार्थ ट्रस्टों को किसी भी अन्य दान के संबंध में, कर्मचारियों को आईटीओ से वापसी का दावा करना होगा]

कर योग्य आय की गणना अनुमेय सीमा तक कटौती की अनुमति देकर की जाती है और इसे दस रुपये के गुणक में पूर्णांकित किया जाता है, पाँच रुपये और उससे अधिक को अगले उच्चतर दस रुपये में पूर्णांकित किया जाता है। **[धारा 288-ए]**

कुल कर योग्य आय पर, चालू वर्ष के टैरिफ के आधार पर आयकर की गणना की जाती है और उसे निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाता है। [धारा 288-बी]

Donations

Donations for charitable purposes fall under two categories, (a) those which can be taken into account by the Disbursing Officer and (b) those for which assessees can get refund only through their Annual Income Tax Return from the ITO concerned.

In respect of some donations, i.e. from Sl. No. 1 to 4 **fifty per cent** of the total donation to be deducted from the taxable income, and from 5 to 23 **whole amount** of donation to be deducted from the taxable income.

Donations which can be taken into account by the Disbursing Officer.

1) Prime Minister's Drought Relief fund- 50% of the total donation to be deducted.
2) National Defense Fund

3) Prime Minister's National Relief Fund or PM Cares Fund
4) Jawaharlal Nehru Memorial Fund[50%]
5) Indira Gandhi Memorial Trust[50%]
6) Rajiv Gandhi Foundation[50%]
7) Prime Minister's Armenia Earthquake Relief Fund
8) Africa (Public Contribution-India) Fund
9) National Foundation for Communal Harmony
10) A University or any Educational Institution of National eminence approved by the prescribed authority.
11) National Blood Transfusion Council or any State Blood Transfusion Council, having its sole object to the control, supervision, regulation or encouragement in India of the services related to operation and requirements of blood banks.
12) Army Central Welfare Fund or Indian Naval Benevolent Fund or Air Force Central Welfare Fund established by the Armed Forces of the Union.
13) The Andhra Pradesh Chief Minister's Cyclone Relief Fund.
14) The National Illness Assistance Fund.
15) The Chief Minister's Relief Fund or the Lieutenant Governor's ReliefFund in respect of any State or Union Territory, as the case may be.
16) National Sports Fund.
17) National Cultural Fund.
18) Fund for Technology Development and Application.
19) The National Trust for welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities.
20) National Children's Fund
21) Swachh Bharat Kosh
22) Clean Ganga Fund
23) National Fund for Control of Drug Abuse

[In respect of any other donations to approved institutions/charitable trusts under Section 80-G, the employees have to claim refund from the ITO]

Taxable income is arrived at by allowing deductions to the permissible extent and is rounded off to the multiple of ten rupees, rupees five and above being rounded off to the next higher ten rupees. **[Section 288-A]**

On the total taxable income arrived at, the income tax is worked out on the basis of the tariff for current year and rounded off to the nearest rupee. [Section 288-B]

<u>आयकर दरें {व्यक्तियों के लिए}पुरानी व्यवस्था के तहत</u>

INCOME TAX RATES {For individuals}UNDER OLD REGIME

आय स्लैब/Income Slab	पुरानी व्यवस्था के तहत आयकर की दर Rate of Income Tax under Old Regime
2,50,000/- रुपये तक Upto Rs.2,50,000/-	शून्य/Nil
2,50,001–5,00,000/- रुपये 2,50,001–5,00,000/-	2,50,000/-रुपये से अधिक कुल का 5% 5% of the total exceeding Rs.2,50,000/-
5,00,001–10,00,000/-रुपये_ 5,00,001–10,00,000/-	5,00,000/ से अधिक कुल आय का 20% 20% of the total income exceeding Rs.5,00,000/-
10,00,001-15,00,000/-रुपये 10,00,001-15,00,000/-	10,00,000/-से अधिक कुल आय का 30% 30% of the total income exceeding Rs.10,00,000/-
15,00,001- और उससे अधिक रुपये 15,00,001- and above	10,00,000/- से अधिक कुल आय का 30% 30% of the total income exceeding Rs.10,00,000/-

*आयकर में छूट:- व्यक्तियों के संबंध में कर के लिए 12500/- रुपये तक की छूट 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले। **[धारा 87ए]**

***Rebate of Income Tax :-** Relief upto Rs.12500/- towards tax in respect of individuals having Annual income upto Rs.5 lakhs.**[Section 87A]**

स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर: सभी मामलों में कुल कर पर 4% का भुगतान किया जाना है।

Health & Education Cess: 4% on the total Tax is to be paid in all cases.

नई व्यवस्था के तहत आयकर दरें {व्यक्तियों के लिए}
Income Tax Rates{For individuals} under new Regime

आय स्लैब **Income Slab**	नई व्यवस्था के तहत आयकर की दर **Rate of Income tax under New Regime**
3,00,000/- रुपये तक Upto Rs.3,00,000/-	शून्य/Nil
3,00,001-7,00,000/- **रुपये** 3,00,001-7,00,000/-	*3,00,000/- रुपये से अधिक कुल का 5% *5% of the total exceeding Rs.3,00,000/-
7,00,001-10,00,000/-रुपये 7,00,001-10,00,000/-	7,00,000/- रुपये से अधिक कुल का 10% 10% of the total exceeding Rs.7,00,000/-
10,00,001-12,00,000/-रुपये	10,00,000/- रुपये से अधिक कुल का 15% 15% of the total exceeding Rs 10,00,000/-

10,00,001-12,00,000/-	
12,00,001-15,00,000/-रुपये 12,00,001-15,00,000/-	12,00,000/-रुपये से अधिक कुल आय का 20% 20% of the total income exceeding Rs.12,00,000/-
15,00,001/- रुपये से अधिक Above Rs.15,00,001/-	15,00,000/- रुपये से अधिक कुल आय का 30% 30% of the total income exceeding Rs.15,00,000/-

*** धारा 87ए के तहत कुल आय पर आयकर की राशि से अधिकतम 25000/- रुपये तक की छूट उपलब्ध है, यदि धारा 115बीएसी(1ए) के तहत कर योग्य करदाता की कुल आय 7,00,000/- रुपये तक है। इसके अतिरिक्त, यदि कर योग्य कुल आय 7,00,000/- रुपये से अधिक है और ऐसी आय पर देय कर कुल आय और 7,00,000/- रुपये के बीच के अंतर से अधिक है, तो करदाता ऐसी कुल आय पर देय कर और 7,00,000/- रुपये से अधिक राशि के बीच के अंतर की सीमा तक सीमांत राहत के साथ छूट का दावा कर सकता है।**

***A maximum rebate of up to Rs.25000/- available under Section 87A from the amount of income tax on total income, if the total income of assesse chargeable to tax under section 115BAC(1A) is up to Rs.7,00,000/-. Furthermore, if the total income chargeable to tax exceeds Rs.7,00,000/- and the tax payable on such income exceeds the difference between the total income and Rs.7,00,000/- , the assesse can claim a rebate with marginal relief to the extent of the difference between the tax payable on such total income and the amount by which it exceeds Rs.7,00,000/-.**

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर: सभी मामलों में कुल कर पर 4% का भुगतान किया जाना है।

Health and Education Cess: 4% on the total tax is to be paid in all cases.

नोट Note:

आयकर विवरण www.pfms.nic.in वेबसाइट के माध्यम से व्यक्तिगत अधिकारियों को प्रदान की गई उपयोगकर्ता आईडी का उपयोग करके तैयार किया जाना चाहिए और ईआईएस (कर्मचारी सूचना प्रणाली) में किया जाना चाहिए और इसे ऑनलाइन और हार्ड कॉपी के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) को प्रस्तुत किया जा सकता है। विवरण की हार्ड कॉपी जमा करते समय, पुरानी व्यवस्था को चुनने वाले अधिकारियों को सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसके लिए आयकर विवरण में कटौती का दावा किया जाता है। यदि कोई कर्मचारी पैन प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो धारा 206AA के तहत निर्दिष्ट उच्च दरों पर कर काटा जाएगा।

The Income Tax statement should be prepared through the website **www.pfms.nic.in** using the user id provided to individual officers and to be done in EIS (Employee Information System) and may be submitted to the Administrative Officer (Accts) through Online as well as Hard Copy. While submitting the hard copy of the statement, officers who are opting for OLD REGIME have to submit **supporting documents for which deductions are claimed in the Income Tax Statement**. If an employee fails to furnish PAN, the tax at higher rates as specified under Sec 206AA will be deducted.

सभी से अनुरोध है कि वे वार्षिक आयकर विवरण (दो प्रतियों में) सहायक दस्तावेजों के साथ दिनांक 30.11.2024 तक या उससे पहले अवश्य जमा करें।

ALL ARE REQUESTED TO SUBMIT THE ANNUAL INCOME TAX STATEMENT (IN DUPLICATE) WITH SUPPORTING DOCUMENTS ON OR BEFORE 30.11.2024, WITHOUT FAIL.

(रानी सी आर /Rani C.R)
अपर आयुक्त [का. व सत.]/ ADDITIONAL COMMISSIONER(P&V)

सेवा में /**To**

1. मुख्यालय के सभी अनुभाग प्रमुख /All Section Heads in Hqrs Office [मानक सूची के अनुसार /As per standard list].

प्रति प्रस्तुत है / Copy Submitted to:

1. सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोचिन / The Commissioner of CGST and Central Excise, Cochin.
2. अपर आयुक्त (का व सत)/ संयुक्त आयुक्त (तक), सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोचिन
   The Additional Commissioner (P&V)/ Joint Commissioner (Tech.), CGST and Central Excise, Headquarter, Cochin.
3. सीजीएसटी मंडल कार्यालयों/ कोचिन आयुक्तालय के मुख्यालय के सभी उप /सहायक आयुक्त /All the Deputy/Assistant Commissioners of CGST Divisional Offices/Headquarters under Cochin Commissionerate.

प्रति /Copy to:

1. सूचना पट्ट/ Notice Board
2. विभागीय वेबसाइट /Department website

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT

ORDER No. 190/2024

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby promoted on ad-hoc and in-situ basis to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300-34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

Sl. No.	Name(S/Shri/Smt)	Date of Birth
1.	Mallajeet Sonowal	26.12.1983

2. The officer mentioned above should join the higher post on or after **01.01.2025** and not later than **10.01.2025**.

3. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the final outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB), OA Nos. 523/2023, 527/2023, 543/2023 of CAT (Ernakulam Bench) and the judgment in Civil Appeal arising out of SLP(C) No: 16161/2018 in Hariharan vs Harshavardhan case now pending with the Larger Bench of the Hon'ble Supreme Court and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

4. The compliance report about joining/non-joining of the officer should be sent to this office by **13.01.2025**.

done 20/01/2025

5. This is issued with the approval of the Principal Commissioner.

6. Hindi version follows.

Signed by Rani C R
Date: 30-12-2024 13:08:04

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise ,Kochi.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise,Thiruvananthapuram.
5. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
6. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.
7. The Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs (Appeals), Kochi.
8. The Additional Director General, DGGI/ DRI Zonal Unit , Kochi.

Copy to:

1. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kozhikode.
2. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kozhikode.
3. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
4. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2020-ESTT **Date: 27.12.2024**

ORDER NO. 189/2024

Sub: Promotion to the grade of Tax Assistant – Reg.

The following Head Havaldar is hereby promoted to the grade of Tax Assistant in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by Government of India from time to time with effect from the date of joining the promoted post.

Sl. No.	Name (Shri.)	Date of Birth	Present place of posting
1.	Sreeraj P.	20.03.1968	Kozhikode Commissionerate

2. The officer should join the promoted post on or before **10.01.2025** failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. He will have to exercise option for pay fixation in terms of DoPT's OMs dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

3. The compliance report by the Controlling Officer/Officer concerned regarding joining/non-joining of the officer should be sent to this office by **14.01.2025**.

4. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 27-12-2024 12:59:36

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

03/01/2025

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kozhikode.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vig/Systems), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi /Kozhikode.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/12/2024-ESTT **Date: .12.2024**

ORDER NO. 188/2024

Sub: Transfer & Postings in the grades of Havaldar & Head Havaldar - Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer & postings in the grades of Head Havaldar & Havaldar of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./Smt.)	Date of Birth	From	To
1	Sunil M.K., Head Havaldar	01-01-1973	UoT to Kochi Commissionerate	Aluva Division
2	K.B. Sebastian, Head Havaldar	18-03-1975	UoT to Kochi Commissionerate	Thrissur Division
3	Abdul Kareem P.K., Head Havaldar	10-01-1966	UoT to Kochi Commissionerate	Ernakulam Division
4	Murugan M., Head Havaldar	26-05-1969	UoT to Kochi Commissionerate	Hqrs, Kochi
5	Latha K.K., Havaldar	28-03-1968	UoT to Kochi Commissionerate	Hqrs, Kochi

28/12/2025

6	Shaji S., Head Havaldar	24-12-1964	UoT to Kochi Commissionerate	Hqrs, Kochi
7	Thadevous K.V., Havaldar	01-02-1968	UoT to Kochi Commissionerate	Hqrs, Kochi
8	Raju T.K., Havaldar	01-03-1967	Thrissur Division	Kunnamkulam Range

2. The above officers, except Shri. Raju T.K. (Sl. No. 8), should join their new place of posting latest by **10.01.2025**. Shri. Raju T.K., Havaldar is to be relieved on or after 31.01.2025 and should join the new place of posting latest by **07.02.2025**.

3. Report compliance on 15.01.2025.

4. This is issued with the approval of the competent authority.

5. Hindi Version follows.

Signed by
Maya Kurian
Date: 30-12-2024 13:45:56

[Maya Kurian]
Assistant Commissioner [P&V]

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer/ Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
4. **The Superintendent (Vig./ Hqrs.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **Official Language Section – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt **Date: 23.12.2024**

ORDER NO. 187/2024

Sub: Transfer and postings in the grades of Tax Assistant/LDC – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.

The following transfer and postings in the grades of Tax Assistant/ LDC are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Vivek Biju Bose, TA	29.11.1991	Administration Section with additional duties of Central Registry Unit, Hqrs Kochi	Headquarters Section, Hqrs Kochi and link officer in r/o Shri. Harikrishnan A.R. for CRU work
2.	Karun Vijay M., LDC	03.08.1993	Headquarters Section, Hqrs Kochi and link officer in r/o Shri. Harikrishnan A.R. for CRU work	Administration Section with additional duties of Central Registry Unit, Hqrs Kochi

2 . The above order should be complied with latest by 31.12.2024 and the compliance reports should reach this office by 03.01.2025.

3. This is issued with the approval of the competent authority.

done 05/01/2025

4. Hindi version follows.

Signed by
Maya Kurian
Date: 26-12-2024 09:18:43

[Maya Kurian]
Assistant Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Systems/Vig/Headquarters), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(39)/72/2021-Estt.

ORDER NO. 186/2024

Sub: Grant of financial upgradation under MACP Scheme – Reg.

In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 35034/ 3/2008-Estt(D) dated the 19.05.2009 and Ministry of Finance letter F.No. A-26017 /76/2009-Ad.II.A dated 17.6.2009, the following officers are hereby granted financial upgradation under the MACP Scheme to the immediate next higher grade pay in the hierarchy of the pay band and grade pay or to the immediate next higher level in the Pay Matrix (as the case may be) with effectfrom the date(s) as mentioned against their names.

Sl. No.	Name & designation S/Shri./Smt.	Date of birth	1st / 2nd / 3rd MACP	Date from which financial upgradation is granted	Recommended grade pay &pay band / Pay matrix level
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bhupal Kumar, Supdt.	12.02.1987	1st	16.12.2023	Level 8
2.	Jayan M, Inspr	04.12.1976	3rd	03.04.2024	Level 8
3.	Vijil Kumar M.C, Inspr	10.08.1966	3rd	03.04.2024	Level 8
4.	Joseph K John, Inspr.	14.03.1967	3rd	22.11.2023	Level 10

done 24/12/2024 27

5.	Ajeet Kumar Gupta, Inspr	07.09.1990	1st	09.12.2023	Level 8
6.	Anuradha Kumari, Inspr	19.03.1986	1st	04.06.2024	Level 8
7.	Manoj R, Inspr	08.05.1984	3rd	03.04.2024	Level 8
8.	Prasannakumari P, H.Havaldar	21.04.1966	3rd	10.08.2024	Level 4
9.	Balan Kuniyil, H.Havaldar	05.05.1968	3rd	10.08.2024	Level 4
10.	Savithri M, H.Havaldar	20.05.1967	3rd	21.12.2022	Level 4
11.	Baiju S, H.Havaldar	23.05.1968	3rd	17.08.2024	Level 4
12.	P.S.Chandran, Head Havaldar	20.05.1970	3rd	28.05.2023	Level 4
13	Sarachandran N.S, Canteen Clerk,	20.05.1974	2nd	24.03.2023	Level 3
14.	Ananda K, H.Havaldar	21.12.1968	3rd	28.06.2024	Level 4
15.	Girishbabu Thundiyil, H.Havaldar	30.05.1968	3rd	17.08.2024	Level 4
16.	Saseendran C.V, H.Havaldar	01.05.1965	3rd	18.08.2024	Level 4

2. Financial upgradation granted to these officers are inter-alia, subject to the following conditions.

2.1 The financial upgradation will not result in change in the designation of the beneficiary i.e., the financial benefits are granted with the retention of the officer's old designation and the said financial up gradation shall not confer any privilege related to higher status.

2.2 The financial upgradation under the MACP Scheme shall be purely personal to the incumbent (officer) and shall not amount to actual functional promotions of the officer concerned. Further, it shall have no relevance to the officer's inter-seniority position, and as such, there shall be no additional financial upgradation for the senior officer on the ground that the junior officer has got higher pay scale(s) under the MACP Scheme. The concept of "Senior- Junior" is quite alien to the idea behind the MACP Scheme.

2.3 If a regular promotion is offered but was refused by the officer, before becoming entitled to a financial upgradation, no financial upgradation shall be allowed; as such an officer has not been stagnated due to lack of opportunities. If, however, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the officer subsequently refuses promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the second next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of debarment due to the refusal.

2.4 Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the Scheme. Therefore, the pay shall be raised by 3% of the total pay in the pay band and the grade pay drawn before such upgradation. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same grade pay as granted under MACPS. However, at the time of actual promotion if it happens to be in a post carrying higher grade pay than what is available under MACPS, no pay fixation would be available and only difference of grade pay would be made available.

2.5 On the officers' financial up-gradation under the MACP Scheme, which is in situ and which may not involve assumption of higher duties and responsibilities, as a special dispensation, their pay shall be fixed under F.R. 22(I)(a)(1) to get their pay fixed in the higher post/grade pay either from the date of their promotion/upgradation or from the date of their next increment viz. 1st July of the year. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with clarification No. 2 of Department of Expenditure's O.M. No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008 or DOP&T O.M. No. 35034/1/2017-Estt.D dated 20.09.2018 as the case may be.

2.6 No past cases would be re-opened. Further, while implementing the MACP Scheme, the differences in pay scales on account of grant of financial upgradation under the old ACP Scheme (of August 1999) and under the MACP Scheme within the same cadre shall not be construed as an anomaly.

2.7 Option (exercisable within one month from the date of receipt of this order) for fixation of pay in the higher grade scale(s) based on the date of increment (i.e. 1st July or 1st January of the year) of the incumbent is also allowable. Such option once exercised shall be treated as final.

3. DOP&T vide its letter D.No.62460/US(D)/2010 dated 21.07.2010 has clarified that the benefit of Non-functional Grade granted to the Superintendent (Group 'B') officers after completion of 4 (four) years would be treated/viewed as up-gradation in terms of Para 8.1 of Annexure-I of DOP&T's O.M. No.35034/3/2008-Estt. (D) dated 19.05.2009 and the same would be off set against one financial up-gradation under MACPS.

4. This is issued with the approval of the Principal Commissioner of Central Tax

and Central Excise, Kochi.

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 16.12.2024 17:43

Additional Commissioner (P&V)

To:
The Individual (through the Supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise,Kochi.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/Kozhikode/ Audit, Kochi/ Appeals, Kochi.
4. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.

Copy to:

1.The Addl/Joint Commissioner (P&V),Thiruvananthapuram Kozhikode/ Audit, Kochi/ Customs (Preventive), Cochin (who are requested to circulate the MACP Orders to the AC/DC in charge of Divisions/Formations under their charge).

2. The Pay and Accounts Officer/ Chief Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram /Kozhikode/ Audit, Kochi/ Custom House, Cochin.

3. The Assistant /Deputy Commissioner, Ernakulam Division / Kakkanad Division/ Aluva Division/ Perumbavoor Division /Idukki Division/Thrissur Division/ Chalakkudy/Division.

4.The Superintendent (Confidential-Vigilance), Hqrs. Kochi/AO(DDO) Hqrs Kochi.

5. Superintendent (Systems), Hqrs. Kochi who is requested to upload the MACP order on the Commissionerate website.

6. Hindi Cell of Kochi Commmissionerate.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/12/2024-ESTT **Date: 12.12.2024**

ORDER NO. 184/2024

Sub: Transfer & postings in the grades of Assistant Sub-Inspector (Weapons), Head Havaldar and Havaldar- Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg

The following transfer & postings in the grades of Assistant Sub-Inspector (Weapons), Head Havaldar and Havaldar of Central Tax and Central Excise Thiruvananthapuram Zone, are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./Smt.)	Date of Birth	Present Commissionerate	Posted To
1	Titus K.T., ASI (Weapons)	30-05-1968	On promotion	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
2	Mukesh P., ASI (Weapons)	11-03-1967	On promotion	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
3	Sajesh Kumar R., Head Havaldar	16-04-1968	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
4	Sunil M.K., Head Havaldar	01-01-1973	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

dom 27/12/2024 01/01/2025 02/01/2025

5	Unnikannan P.O., Head Havaldar	31-05-1973	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
6	Murugan M., Head Havaldar	26-05-1969	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
7	K.B. Sebastian, Head Havaldar	18-03-1975	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
8	Balan K., Head Havaldar	05-05-1968	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
9	Shaji S., Head Havaldar	24-12-1964	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
10	Abdul Kareem P.K., Head Havaldar	10-01-1966	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
11	Binumon T.P., Head Havaldar	19-05-1975	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
12	Prasannakumari P., Head Havaldar	21-04-1966	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
13	Shajimon L., Head Havaldar	06-05-1972	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram

14	Ramani G., Head Havaldar	28-05-1970	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
15	Santhosh Kumar K., Head Havaldar	20-05-1976	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
16	Peethambaran K., Head Havaldar	10-10-1966	(Airport/I&E, Kannur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
17	Savithri M., Head Havaldar	20-05-1967	(Airport/I&E, Kannur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
18	Mohanan E.V., Head Havaldar	31-05-1968	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
19	Harshan P.R., Head Havaldar	12-02-1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
20	Sreeraj P., Head Havaldar	20-03-1968	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
21	Vishwanathan P.C., Head Havaldar	29-05-1966	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
22	Anil Kumar M.G., Head Havaldar	20-05-1966	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
23	Chandran P.S., Head Havaldar	20-05-1970	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

24	Johnson P.J., Head Havaldar	24-05-1966	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
25	Sajan V.G., Head Havaldar	10-10-1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
26	Ravindran M.L., Head Havaldar	08-04-1971	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
27	Unnikrishnan M.T, Head Havaldar	22-04-1966	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
28	Sreekumar M.K., Head Havaldar	15-05-1968	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
29	Praveen V. Nair, Head Havaldar	23-03-1975	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Appeals, Kochi	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
30	Baiju S., Head Havaldar	23-05-1968	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
31	Jose Antony, Head Havaldar	15-04-1972	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
32	N.S. Madhusudhanan Nair, Head Havaldar	10-05-1967	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

33	K. Ananda, Head Havaldar	21-12-1968	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	(Airport/I&E, Kannur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
34	Sasi P.M., Head Havaldar	30-05-1968	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/I&E, Kannur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
35	Thadevous K.V., Havaldar	01-02-1968	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
36	Latha K.K., Havaldar	28-03-1968	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
37	Geetha N.M., Havaldar	26-05-1968	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Appeals, Kochi

2. The officers posted to Airport/UB/I&E are for a period of 1 (One) year without prejudice to the right of the Department to transfer them earlier on administrative exigencies.

3. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **27.12.2024**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

5. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.

6. Report compliance by 31.12.2024.

7. Hindi Version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 12-12-2024 15:06:36

[Rani C.R.]
Additional Commissioner (P&V)

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1 . **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

2. The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.

3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.

4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.

5. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
6. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
7. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
8. The Additional Director General, DGGI/ NACIN/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.

Copy to:
1. All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.
2. The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Appeals/ Audit Comm'tes.
3. The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
4. The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
5. The Superintendent (Vig./ Hqrs.) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode / Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
6. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
7. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-ESTT **Date: 10.12.2024**

ORDER NO. 183/2024

Sub: Transfer & Postings in the grade of Tax Assistant - Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate- Reg.

The following transfer & posting in the grade of Tax Assistant of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name (Shri.)	Date of Birth	From	To
1	Abhishek Pandey	30.04.1999	Legal Section	Audit Section

2. The above officers must be relieved and should join their new place of posting latest by 16.12.2024.
3. Report compliance on 19.12.2024.
4. Hindi Version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 10-12-2024 17:42:34

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

done 05/01/2025

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer/ Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No. II/(3)/APPT/25/2020-ESTT.

ORDER No. 182 /2024

Sub: Proforma Promotion to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise - reg.

The following Inspector of Central Tax & Central Excise, who is presently working on deputation has been granted Proforma Promotion to the grade of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300-34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from 04.06.2024 i.e., date of promotion of his immediate junior.

Sl.No.	Name (S/Shri/Smt)	Present Place of Posting	Time limit within which the officer should re-join the parent cadre
1.	Shri. Dinesh Kumar	Enforcement Directorate, New Delhi	01.09.2025

2. The above mentioned officer working on deputation shall continue to work in the capacity of the post to which he had been selected on deputation, and shall be eligible to draw salary at higher grade only after repatriation from the deputation and after joining the cadre at the promoted post.

dow 05/11/2024

3. The effective date of promotion for the purpose of seniority shall remain the date of order of promotion (i.e 04.06.2024).

4. No further extension of deputation period, beyond what is approved, shall be allowed for above mentioned officer opting for proforma promotion.

5. If the officer does not opt for proforma promotion or does not return to accept regular promotion, it shall be deemed that the officer has refused promotion.

6. This order is issued with the approval of the Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Signed by
Rani C R
Date: 11.12.2024 15:56:59
[Rani C R]

Additional Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax ,Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

2. The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.

3. The Director, Directorate of Enforcement, Hqrs Office, Dr. A P J Abdul Kalam Road, New Delhi - 110011.

Copy to:

1. The Superintendent (Systems) - for uploading in website.

2. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2024-ESTT

ORDER No. 181/2024

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer & posting in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No	Name of the Officer (Shri./Smt/Ms)	Date of Birth	From	To
1.	Shekhar Yadav	01.07.1994	Internal Audit Section, Hqrs Kochi	Legal Section, Hqrs Kochi

2. Controlling officer shall ensure that the officer is relieved from his previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officer is to be relieved from his present place of posting by 16.12.2024. Controlling officer will be held responsible if the officer is not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from the officer before his joining the new place of posting.

4. The controlling officer is to report compliance by 17.12.2024.

5. This is issued with the approval of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

done 05/01/2025

Signed by
Rani C R
Date: 10-12-2024 17:44:11

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through the Controlling Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
4. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

II/(3)/APPT/25/2020-ESTT

ORDER NO. 180/2024

Sub: Notional promotion to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise – Reg.

Shri. Shatrughan Kumar (D.O.B – 02.01.1989), Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby notionally promoted to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, on ad-hoc basis, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300- 34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from 04.12.2023 i.e., the date of joining as Superintendent of his immediate junior, Shri. Viresh Mishra.

2. The officer's seniority in the cadre of Superintendent is assigned immediately below Shri. Kamal Kumar and above Shri. Viresh Mishra.

3. The officer is entitled for arrears of pay, if any, for the period of notional promotion preceeding the date of actual promoton. The officer will have to exercise the option for pay fixation in terms of DoPT O.M dated 26.09.1981 and 05.07.1999 within one month from the date of issue of this order. Option once exercised shall be final. If the officer has already been granted financial upgradation under MACP Scheme, then he shall not be entitled for pay fixation benefits now.

4. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB) and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

5. The compliance report about joining/non-joining of the officer may be sent to this office by 06.12.2024.

done 05/01/2025 19/01/2025

6. This is issued with approval of the Principal Commissioner.

7. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 29-11-2024 15:24:15

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned).

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Kozhikode .**
2. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/ Kozhikode.**
3. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
4. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt **Date: 27.11.2024**

ORDER NO. 179/2024

Sub: Transfer and posting in the grade of Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and posting in the grade of Tax Assistant is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Abhinav Kumar	07.03.1995	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi

2 . The above order should be complied with latest by 06.12.2024 and the compliance report should reach this office by 10.12.2024.

3. This is issued with the approval of the competent authority.

4. Hindi version follows.

dowl 19/01/2025

Signed by
Maya Kurian
Date: 04-12-2024 12:28:14
[Maya Kurian]
Assistant Commissioner [P&V]

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and**

Customs, Thiruvananthapuram Zone.

2. **The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Audit, Kochi.**

Copy to:

1. **The Assistant Commissioner, Central Tax and Central Excise, Kakkanad Division.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/Audit.**
3. **The Superintendent (Systems/Vig.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

ORDER No. 178/2024

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No	Name of the Officer (Shri./Smt./Ms.)	Date of Birth	From	To
1.	Jayanta Biswas	05.02.1975	Ernakulam Range 3	Ernakulam Range 5
2.	Akshay Singh Bhadauria	26.10.1990	Ernakulam Range 5	Ernakulam Range 3
3.	Swapna V M	24.04.1980	Ernakulam Range 4	Ernakulam Division

2. Controlling officer shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of posting immediately.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

4. The controlling officer is to report compliance by 29.11.2024.

5. This is issued with the approval of the Principal Commissioner

19/01/2025

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate**

Copy to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Hqrs Kochi**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

igned by
ani C R
ate: 25-11-2024 16:35:02

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT

ORDER No. 177/2024

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Superintendent & Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent and Inspector of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No	Name of the Officer (Shri./Smt/Ms)	Designation	Date of Birth	From	To
1.	Visakh D	Superintendent	23.11.1983	CCO (on repatriation from DRI Kozhikode)	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
2.	Sanjeev Kumar	Superintendent	03.08.1989	On Promotion	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate Kochi
3.	Greeshma K	Inspector	13.11.1991	CCO (on repatriation from DGov, Chennai)	Central Tax & Central Excise Commissionerate Kozhikode.
4.	Akhil Raj D	Inspector	27.06.1990	CCO (on repatriation from DRI Trivandrum)	Central Tax & Central Excise Commissionerate Kozhikode

done 19/01/2025

2. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to

ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of posting by 29.11.2024. Controlling officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. Smt. Greeshma K, who is on child care leave till 31.01.2025 is to join her new place of posting on her return from leave.

4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

5. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

6. The controlling officers are to report compliance by 02.12.2024

Signed by
Rani C R
Date: 27-11-2024 15:21:26

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode**
5. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
6. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
7. **The Additional Director General, DRI Zonal Unit Kochi.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ / Kozhikode/ Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/ Kozhikode/CCP / Audit.**
3. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
4. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(11)/5/2021-ESTT

ESTABLISHMENT ORDER NO. 176/2024

Sub: Confirmation in the grade of Inspector – Reg

In accordance with the instructions in O.M No. 28020/1/2010-Estt(C) dated 21.07.2014 issued by the Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India the following officers of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone are confirmed in the grade of Inspector with effect from the date shown against their names.

Sl. No.	Name (S/ Shri./ Smt.)	Date of Birth	Date of confirmation
1	Ardra A.S	30.05.1995	15.11.2023
2	Mithil Mohan	07.11.1992	06.05.2023
3	Pankaj Varun	20.09.1992	06.05.2023
4	Kshitiz Shiminit Tirkey	25.03.1985	06.05.2023
5	G Deepchand	14-04-1992	06.12.2023
6	Mohit	04-10-1987	18.11.2023
7	Biswajit Das	06-02-1992	03.12.2023
8	Ashok Kumar Meena	01-01-1989	18.11.2023
9	Piyush Chauhan	29-08-1992	18.11.2023
10	Jiten Mali	10-09-1991	14.03.2024

done 20/01/2025

2. Necessary entries may be made in the Service Book of the individuals.
3. This is issued with the approval of the Principal Commissioner.

4. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 25-11-2024 14:42:05

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax , Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode /Thiruvananthapuram/ Appeals/ Audit (Kochi).**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Deputy/ Assistant Commissioners in charge of all Divisions, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt **Date: 26.11.2024**

ORDER NO. 175/2024

Sub: Transfer and posting in the grade of Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer and posting in the grade of Tax Assistant is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Kum.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Vyshnavi E.K.	09.04.1999	Accounts (Paybill) Section, Hqrs Kochi	Establishment Section, Hqrs Kochi

2 . The above order should be complied with latest by 29.11.2024 and the compliance report should reach this office by 02.12.2024.

3. This is issued with the approval of the competent authority.

4. Hindi version follows.

Signed by Maya Kurian
Date: 26-11-2024 17:25:34

[Maya Kurian]
Assistant Commissioner [P&V]

20/01/2025

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise,**

Kochi.

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Systems/Vig.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि. I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt **Date: 25.10.2024**

ORDER NO. 174/2024

Sub: Transfer and posting in the grade of Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and posting in the grade of Tax Assistant is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Smt.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Jooli Meena	01.01.1994	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi

2 . The above order should be complied with latest by 01.11.2024 and the compliance report should reach this office by 08.11.2024.

3. This is issued with the approval of the competent authority.

4. Hindi version follows.

Signed by
Maya Kurian
Date: 25-10-2024 17:06:12

[Maya Kurian]
Assistant Commissioner [P&V]

done 20/01/2025.

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Appeals, Kochi.**

Copy to:

1. **The Assistant Commissioner, Central Tax and Central Excise, Ernakulam Division.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/Appeals.**
3. **The Superintendent (Systems/Vig.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/15/2022-ESTT

ORDER No 173/2024

Sub: Voluntary Retirement from Service in respect of Shri. Sreekumar N V, Inspector, Customs Preventive Commissionerate - Reg.

In terms of the provisions of Fundamental Rule 56(k), the Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi is pleased to permit Shri. Sreekumar N V (DoB: 13.08.1968), Inspector, Customs Preventive Commissionerate to retire voluntarily from Government Service with effect from 25.10.2024 subject to all relevant conditions as applicable to Government servants under Voluntary Retirement Scheme pursuant to his representation dated 26.07.2024.

2. All dues in respect of Shri. Sreekumar N V, Inspector pending if any, may be recovered from his retirement benefits as per rules.

20/01/2025

Signed by
Rani C R
Date: 25.10.2024 09:56:49

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To

The Individual (Through the Controlling Officer concerned)

Copy Submitted to :

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise,**

Kochi.

3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Kochi/Customs Preventive Commissionerate.**
2. **The Administrative Officer (DDO), Kochi/Customs Preventive Commissionerate.**
3. **The Superintendent (Vig.), Central Tax & Central Excise, Kochi/ Customs Preventive Commissionerate.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
5. **The Secretary, Central Excise Co-operative Society, Kochi.**
6. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020 –ESTT.

ORDER No. 172/2024 (revised)

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone – reg.

Order No. 172/2024 dated 09.10.2024 is modified as under:

The following Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby promoted on ad-hoc and in-situ basis to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs 9,300-34,800 (PB-2) GP-Rs 4,800/- in pre-revised scale).

Sl No	Name of officer (Shri)	Date of Birth
1	Sanjeev Kumar	03.08.1989

2. On accepting promotion in the higher grade, the seniority of the officer is to be fixed above his immediate junior in the feeder cadre, Shri. Sunil Nagar in the Zonal Seniority List of Superintendents. The officer will be eligible to draw pay plus such allowances in the promotional grade only after assumption of charge as Superintendent.

3. The promotion of the officer will be subject to the outcome of court cases, if any, pending before any judicial fora.

4. The officer should join the higher post immediately and not later than 23.10.2024.

5. This is issued with the approval of the Principal Commissioner.
6. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 15-10-2024 10:36:07

[Rani C R]
Additional Commissioner

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
6. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
7. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
8. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
11. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
12. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
13. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT **Date: 09.10.2024**

ORDER No. 172/2024

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby promoted on Ad-hoc and in-situ basis to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300- 34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

Sl. No.	Name(S/Shri/Smt)	Date of Birth
1.	Sanjeev Kumar	03.08.1989

2. The officer mentioned above should join the higher post not later than **23.10.2024**.

3. This is issued with the approval of Principal Commissioner.

4. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 09-10-2024 16:05:14

[Rani C R]
Additional Commissioner (P&V)

20/11/2025

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
6. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
7. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
8. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
9. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
10. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
11. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

ORDER No. 171/2024

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent & Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent and Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect

Sl No	Name(S/ Shri./Smt.)	Designation	DOB	From	To
1	Akhil T K	Superintendent	17.04.1991	Technical I/ Statistics/ RTI Section, Hqrs Kochi	Technical/ Statistics, Hqrs Kochi
2	Biju M R	Superintendent	10.04.1970	Technical II/ DGARM Section, Hqrs Kochi	DGARM/ RTI Section, Hqrs Kochi
3	Manoj Kumar Yadav	Superintendent	04.07.1982	Ernakulam Division	Ernakulam Range 6
4	Jackson Joseph	Superintendent	09.09.1979	Ernakulam Range 2	Ernakulam Division

done 20/01/2025

5	Jayantha Biswas	Superintendent	05.02.1975	Ernakulam Range 5	Ernakulam Range 3
6	Sumit Kumar Ranjan	Inspector	07.08.1996	Ernakulam Range 1	Review Section, Hqrs., Kochi
7	Noel E V	Inspector	11.03.1996	Ernakulam Range 6	Ernakulam Range 1

2. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed of.

4. The controlling officers are to report compliance by 11.10.2024.

5. This is issued with the approval of Principal Commissioner

Signed by
Rani C R
Date: 04-10-2024 09:47:03

[Rani C R]
Additional Commissioner (P&V)

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions/Sections of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**